सत्यमेव जयते

डब्लू.डी.आर.ए

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा 26 सितम्बर, 2017 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली के शुभारम्भ के अवसर पर प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया विज्ञापन

सत्यमेव जयते

डब्ल्यू.डी.आर.ए
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

चौथी मंजिल, एनसीयूआई भवन, 3, सीरी इंस्टीट्युश्नल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली –110016

सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का डब्लू.डी.आर.ए की रूपान्तरण योजना ई–एन डब्लू आर प्रणाली के बारे में प्रगति के बारे में जानने के लिए डब्लू.डी.आर.ए का दौरा।

विषय सूची

अध्याय	विवरण		पृष्ठ संख्या
I	सिंहावलोकन		
	1.1	प्राधिकरण की स्थापना और संस्थापन	1
	1.2	प्राधिकरण का गठन	1
	1.3	संगठन	2
	1.4	दूरदृष्टि, लक्ष्य और उद्देश्य	2
	1.5	प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य	3
	1.6	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लू डी आर ए) अधिनियम 2007 बनने से पहले देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति	4
	1.7	परक्राम्य भांडागार रसीद	4
	1.8	परक्राम्य भांडागार रसीदों की विशिष्टताऐं	4
	1.9	भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना	5
	1.9.1	रूपान्तरण योजना के अंतर्गत नियोजित गतिविधियां	5
	1.9.2.	गुणात्मक सर्वेक्षण	5
	1.9.3.	मात्रात्मक सर्वेक्षण	6
	1.9.4.	सूचना प्रौद्योगिकी पहल	6
	1.10	भांडागारण परामर्शदात्री समिति	8
	1.11	प्राधिकरण की वैबसाइट	8
	1.12	विज्ञापन एवं प्रचार	8
II	नीतियाँ तथा कार्यक्रम		
	2	भांडागारण क्षेत्र के सामान्य वातावरण की समीक्षा	10
	2.1	उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में किसानों की सहायता के लिए कृषि वित्त पोषण	10
	2.1.1	सार्वजनिक भांडागारण के माध्यम से परक्राम्य भांडागार रसीद ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की शक्ति	10
	2.2	अविनियमित भांडागार/भांडागार रसीदों से जुड़ी जोखिम	11
	2.3	भांडागारण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की आवश्यकता	11
	2.4	भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति	12
III	कृषि विपणन तथा भांडागारण से संबन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा		
	3.1.	कृषि विपणन अवसंरचना	13
	3.2	खाद्यान्नों का उत्पादन	15
	3.3	स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन	15
	3.4	अन्य प्रमुख फसलों का उत्पादन	16
	3.5	केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद	16
	3.6	दालों की खरीद	18
	3.7	निजी उद्यमी गारंटी योजना 2008	19
	3.8	भारतीय खाद्य निगम के लिए साइलो के रूप में भंडारण सुविधाओं में वृद्धि/आधुनिकीकरण	19
	3.9	राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–एन ए एम)	20
	3.10	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशु धन विपणन (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017	21

IV	भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की समीक्षा।	
	4.1 भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की समीक्षा	23
	4.2 भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम 2017 के लिए अधिसूचना	23
	4.2.1 पुराने तथा नए पंजीकरण नियमों के बीच मुख्य अंतर	24
	4.2.2 आवेदन शुल्क अपेक्षाएँ	25
	4.2.3 पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षा	25
	4.3 प्रतिभूति जमा संबंधी अधिसूचना	26
	4.4 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट	27
	4.5 ई–परक्राम्य रसीद (ई–एन डब्यू आर) के संबंध में अधिसूचना	28
	4.6 कागज आधारित भांडागार रसीद/ स्टॉक रसीद की तुलना में ई–परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली अपनाने के लाभ	28
	4.6.1 कागज आधारित भांडागार रसीद/स्टॉक रसीद की तुलना में ई–एन.डब्लू.आर अपनाने के लाभ	29
	4.7 भाण्डागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदनों का क्रियान्वयन	30
	4.7.1 आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज	30
	4.8 भांडागारो का पंजीकरण	31
	4.9 भांडागारों के ऑनलाइन पंजीकरण में प्रगति	32
	4.10 भांडागारों के पंजीकरण का नवीकरण	33
	4.11 भांडागारों का ऑनलाइन नवीकरण	33
	4.12 भांडागारों द्वारा सेवाओं की क्वालिटी की मॉनिटरिंग एवं सर्वेक्षण	34
	4.13 निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना	34
	4.14 पैनल में रखी गई एजेंसियों की सूची	35
	4.15 डब्लू. डी. आर. ए. के साथ रिपोजिटरीज का पंजीकरण	36
	4.16 भांडागारण क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम	36
	4.16.1 भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	36
	4.16.2 डब्लू. डी. आर. ए की स्थापना से अब तक आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम	37
	4.16.3 भांडागार प्रबन्धकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	38
	4.16.4 डब्लू. डी. आर. ए की स्थापना से अब तक आयोजित भांडागार प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	39
	4.17 पैनल में रखी गई निरीक्षण एजेंसियों से जुड़े निरीक्षण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	40
	4.18 नई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया तथा भांडागारों के विनियमन पर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन	40
V	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय कार्य–निष्पादन सहित संगठनात्मक मामले	
	5.1 भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	43
	5.2 प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य	43
	5.3 भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यन्वयन	43
	5.4 कार्मिकों का प्रशिक्षण	44
	5.5 वर्ष 2017–18 के लिए भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित लेखे	44
	अनुलग्नक – I वर्ष 2017–18 के लिए डब्लू डी आर ए के लेखों का विवरण	48
	अनुलग्नक – II भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट	71
	अनुलग्नक – III नियत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर उत्तर / टिप्पणियाँ	75

अध्यक्ष का वक्तव्य

मुझे भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) की 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए भेजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में भांडागारण (विकास एवं विनियामक) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां नियम, 2010 के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार को भेजने के लिए अपेक्षित आवश्यक सूचना शामिल है।

इस रिपोर्ट में भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के कार्यकलापों का सिंहावलोकन और विनियामक मामलों के संबंध में प्राधिकरण की संक्षेप में महत्वपूर्ण पहलें निहित हैं। इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षित विवरण और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी शामिल है।

बी. बी. पटनायक

(डॉ. बी. बी. पटनायक)
अध्यक्ष (प्रभारी)

दिनांक : 27 नवम्बर, 2018

अध्याय – I

संक्षिप्त विवरण

1.1 प्राधिकरण की स्थापना और संस्थापन

भारत सरकार ने भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के अधीन 26 अक्टूबर, 2010 को भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लू डी आर ए) (जिसे यहाँ इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है) का गठन किया था। प्राधिकरण इस अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा इसे दिए गए कार्यों को करने के लिए अधिकृत है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में, इसका कहीं पर कोई अन्य कार्यालय नहीं है। तथापि अधिनियम की धारा 24 में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

1.2 प्राधिकरण का गठन

प्राधिकरण में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य हैं। अधिनियम की धारा 26 में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य अपने पदग्रहण की तारीख से, पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा लेकिन कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष तथा सदस्य, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, जिस तारीख से वे अपने पद पर नही रहेंगे, उससे दो वर्ष के लिए भंडारण क्षेत्र की किसी संस्था में रोजगार स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित होंगे ।

वर्ष 2017–18 के दौरान अध्यक्ष और सदस्यो की सूची नीचे दी गई है :

नाम	कार्य–अवधि
श्री जी.सी. चतुर्वेदी, अध्यक्ष	25–08–2015 से 16.01.2018
डॉ. बी. बी. पटनायक, अध्यक्ष (प्रभारी) एवं सदस्य	01–02–2018 से अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार 12.09.2016 से सदस्य
श्री पी. श्रीनिवास,सदस्य	10–01–2017

श्री जी.सी. चतुर्वेदी, ने पैंसठ वर्ष की आयु होने पर 16.01.2018 से अध्यक्ष का पद छोड़ा

1.3 संगठन

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण में स्वीकृत स्टाफ तथा, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या रिपोर्ट के अध्याय–5 में दी गई है।

1.4 दूरदृष्टि, लक्ष्य और उद्देश्य

प्राधिकरण का लक्ष्य देश में भांडागारण क्षेत्र की संवृद्धि और सुव्यवस्थित विकास करना है। यह प्राधिकरण भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के उद्देश्यों को प्राप्त करने कि दिशा में विनियामक व्यवस्था मुहैया करने के प्रति कार्य कर रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य देश में परक्राम्य भांडागार रसीद (एन.डब्लू.आर) प्रणाली क्रियान्वित करना, पंजीकृत वेअरहाउसों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों पर जमाकर्ताओं और बैंकों का न्यासीय का विश्वास बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि करना, वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना, वित्तपोषण की लागत कम करना, छोटी और कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना, ग्रेडिंग और क्वालिटी के लिए प्रतिफलों में वृद्धि करना और उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों से किसानों को परक्राम्य भांडागार रसीदों के विरूद्ध बैंकों से ऋण लेने में मदद मिलेगी जिससे वे कृषि उपज की मजबूरन बिक्री करने से बच सकेंगे। रसीदधारक द्वारा बंधक के रूप में इसका व्यापार तथा पृष्ठांकन किया जा सकता है। परक्राम्य भांडागार रसीद अन्य कई हितधारको जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थाओ, बीमा कंपनियों, व्यापार, कोमोडिटी एक्सचेंजों तथा उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी हो सकती है। यह अधिनियम वेअरहाउसिंग क्षेत्र द्वारा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने हेतु उसे सक्षम बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया और वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।

अधिनियम के 25 अक्टूबर, 2010 को अस्तित्व में आने पर देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली आरंभ हुई। भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- **i)** अधिनियम के प्रावधानों लागू करने के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लू डी आर ए) की स्थापना ।
- **ii)** कृषि एवं बागवानी सहित वस्तुओं के लिए भांडागार रसीद प्रणाली का प्रचलन करना।
- **iii)** परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों का पंजीकरण करना।
- **iv)** भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के विनियमन के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया और वैधानिक समर्थन प्रदान करना ।
- **v)** भांडागार रसीद को परक्राम्य बनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करना और जमाकर्ताओं तथा बैंको का न्यासी विश्वास बढ़ाने के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करना।
- **vi)** भांडागारपालों का कुप्रबंधन तथा धोखाधड़ी अथवा जमाकर्ताओं के दिवालियापन को रोकना।
- **vii)** भांडागार रसीदों को व्यापार तथा वित्त की सुविधा के लिए एक मुख्य उपकरण बनाना और बैंको को अनुमति देना कि वे अपने ऋण पोर्टफोलियो में गुणवत्ता सुधार तथा भांडागारों में जमा माल के बदले ऋण देने की दिशा में प्रोत्साहित हों ।

अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो भांडागारण का कारोबार तथा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना चाहता है, उसे प्राधिकरण से गोदामो को पंजीकृत कराना होगा। तथापि जो भांडागार परक्राम्य भांडागार रसीद जारी नहीं करना चाहते, उन्हे भांडागार पंजीकृत करवाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार वे भांडागार जो परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के इच्छुक नही हैं, उनके लिए प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक है ।

1.5 प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य

अधिनियम की धारा 35 में प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य निर्धारित किए गए है। प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को विनियमित करे और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करे तथा भांडागारण कारोबार की सुव्यवस्थित वृद्धि को बढ़ावा दें। प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यो में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थातः–

(क) भाण्डागारपालों के लिए निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करने वाले आवेदकों को भाण्डागारों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना या पंजीकरण का नवीनीकरण करना, उपांतरित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना;

(ख) प्रत्यायन अभिकरण के पंजीकरण और कार्यों को विनियमित करना, ऐसे पंजीकरण को नवीकृत करना, उपांतरित करना, वापस लेना, निलंबित या रद्द करना और भाण्डागारों का प्रत्यायन करने के लिए प्रत्यायन अभिकरणों के कार्मिकों के लिए आचार संहिता विनिर्दिष्ट करना;

(ग) भाण्डागारपालों और भाण्डागारण कारोबार में लगे कर्मचारियों के लिए अर्हताएं, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना;

(घ) भाण्डागार में जमा माल के संबंध में उसके गिरवी रखने, प्रभारों के सृजन और उनके प्रवर्तन की प्रक्रिया विनियमित करना;

(ङ) भाण्डागार कारोबार के संचालन में कुशलता का संवर्द्धन करना;

(च) माल के श्रेणीकरण के लिए प्रमाणकर्ता अभिकरणों के अनुमोदन के लिए मानकों को अधिकथित करने के लिए विनियम बनाना;

(छ) भाण्डागारण कारोबार से संबंधित पेशेवर संगठनों का संवर्द्धन करना;

(ज) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए शुल्कों और अन्य प्रभारों की दर अवधारित करना और उनका उद्ग्रहण;

(झ) भाण्डागारों, प्रत्यायन अभिकरणों और भाण्डागारण कारोबार से संबद्ध अन्य संगठनों से सूचना मंगाना, उनका निरीक्षण करना, जांच और अन्वेषण करना जिसके अंतर्गत उनकी संपरीक्षा भी है;

(ञ) उन दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों को विनियमित करना जो भाण्डागारण कारोबार के संबंध में भाण्डागारपालों द्वारा प्रस्थापित की जाएं;

(ट) विनियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना, जिनमें लेखाबहियां रखी जाएंगी और भाण्डागारपालों द्वारा लेखा विवरण दिए जाएगे;

(ठ) मध्यस्थों का एक पैनल रखना और भाण्डागारों और भाण्डागार रसीद धारकों के बीच विवादों में ऐसे पैनल से मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करना;

(ड) भाण्डागारों में जमा किए गए प्रतिमोच्य माल के जमा शेष धारण करने और अंतरण की इलेक्ट्रानिक प्रणाली विनियमित और विकसित करना;

(ढ) पंजीकृत भाण्डागार में कृषि वस्तुओं के भंडारण के लिए आरक्षित रखे जाने के लिए स्थान की न्यूनतम प्रतिशतता अवधारित करना;

(ण) भाण्डागारपाल के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करना;

(त) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्य का करना जो विहित किए जाएं।

1.6 भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लू डी आर ए) अधिनियम 2007 बनने से पहले देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति।

- भांडागारण (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व सार्वजनिक भाण्डागार केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों के भाण्डागारों द्वारा जारी भांडाागार रसीदो के लिए जमाकताओं तथा बैंकों के पास न्यासी ट्रस्ट नहीं था।
- परक्राम्य भांडागार रसीद (एन.डब्लू.आर) को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में कोई स्थान नहीं दिया गया था।
- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में केवल इतना संदर्भ उपलब्ध था कि सामान के अमानतदार के रूप में भांडागारपाल का दायित्व होगा।
- भांडागार द्वारा छल कपट अथवा कुप्रबंधन अथवा जमाकर्ता के दिवालियापन की स्थिति में ऋण की वसूली न होने का भय था।
- उपलब्ध कानूनी उपचार अपर्याप्त थे, समय लेने वाले थे। परक्राम्य भांडागार रसीद का प्रारूप एक समान नहीं था ।
- अतः भांडागार की रसीदों की परक्राम्यता में बाधाएं होने के कारण किसानों तथा सामान के जमाकर्ताओं के सामने समस्याएँ पैदा हो रही थीं।

1.7 परक्राम्य भांडागार रसीद

भांडागारण विकास और विनियम अधिनियम 2007 की धारा 11 भांडागार रसीद का व्यापक ढ़ांचा दिया गया है। अधिनियम की धारा 12 में भांडागार रसीद की परक्राम्यता का प्रावधान प्रदान करती है। परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रपत्र को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया गया है । परक्राम्य भांडागार रसीद पुस्तकों का मुद्रण भारतीय सुरक्षा मुद्रण और टकसाल निगम द्वारा किया गया है और यह प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत भांडागारों को जारी की जाती है। परक्राम्य भांडागार रसीद की अद्वितीय विशेषताएं जैसे उसकी प्रति तैयार नहीं कर सकना, अंतहीन पाठ, शुद्ध रेखा स्वरूप, इंद्रधनुषी रंगों के साथ स्वच्छ मुद्रण इत्यादि हैं।

1.8 परक्राम्य भांडागार रसीदों की विशिष्टताएँ ।

परक्राम्य भांडागार रसीदों के प्रमुख विशिष्टताएँ नीचे दी गई है :

i) परक्राम्य भांडागार रसीद का स्वरूप एक समान है और इसे इंडियन बैंक्स एसोशिएशन (आईबीआई) तथा अन्य हितधारको के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है।
ii) परक्राम्य भांडागार रसीद पुस्तकों का मुद्रण भारतीय सुरक्षा मुद्रण और टकसाल निगम द्वारा किया जाता है।
iii) प्रति तैयार न की जा सकने वाली विशिष्टता से युक्त है।
iv) पूर्णतया परक्राम्य साधन।
v) माल के वास्तविक संचलन के बिना कारोबार किया जा सकता है।
vi) किसानो द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकने में मदद मिलती है।
vii) छोटे और सीमांत किसानो के लिए 7% की कम ब्याज दर पर परक्राम्य भांडागार रसीदों के बदले फसल कटाई के बाद भंडारित उपज पर ऋण उपलब्ध।

परक्राम्य भांडागार रसीद से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की उम्मीद की जाती है :-

i) ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि।
ii) वस्तुओं के वैज्ञानिक भांडागारण को बढ़ावा।
iii) वित्तपोषण की अपेक्षाकृत कम लागत।
iv) लघु और अपेक्षाकृत कुशल आपूर्ति श्रृंखलाएं।
v) ग्रेडिंग और गुणवत्ता के लिए अधिक प्रतिफल।
vi) बेहतर मूल्य जोखिम प्रबंधन।
vii) किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं (गुणवत्ता वाला सामान)।

1.9 भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की रूपान्तरण योजनाः

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करता रहा है।

(i) भांडागारण क्षेत्र अधिकतर असंगठित तथा छितरा हुआ है।

(ii) भांडागारों का पंजीकरण स्वैच्छिक है, अतः पंजीकृत भांडागारों की संख्या में वृद्धि की संभावना सीमित है।

(iii) अधिनियम के अधीन विनियामक रूपरेखा अपर्याप्त है।

(iv) परक्राम्य भांडागार रसीदों के पंजीकरण एवं जारी करने की प्रणाली पेपर आधारित थी।

(v) पंजीकृत भांडागारों की निगरानी तथा पर्यवेक्षण प्रणाली अपर्याप्त थी।

उपरोक्त चुनौतियों का सामना करने तथा भंडागारण के क्षेत्र में जान डालने के लिए डब्लू.डी. आर. ए. ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.) के सहयोग से भांडागारण क्षेत्र को सशक्त बनाने तथा परक्राम्य भांडागार रसीद के बदले किसानों को कटाई बाद ऋण उपलब्ध करने की सुविधा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए रूपान्तरण योजना आरंभ की थी।

निम्नलिखित के माध्यम से डब्लू.डी. आर. ए. का ध्यान परक्राम्य भांडागार रसीदों के उपयोगकर्ताओं तथा डब्लू.डी.आर.ए. के पास पंजीकृत भांडागारों द्वारा बेहतर सेवाएँ प्रदान करना रहा है:-

(क) भंडागारण क्षेत्र के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए बाजार सर्वेक्षण तथा अध्ययन।

(ख) नियमों एवं विनियमों का पुनर्निर्धारण।

(ग) सशक्त भांडागार निरीक्षण प्रणाली तथा पर्यवेक्षण की रूपरेखा विनिर्मित करना।

(घ) भांडागारों के पंजीकरण तथा निगरानी सहित डब्लू.डी.आर.ए. के आंतरिक कार्यालय के ऑटोमेशन में सूचना प्रौद्यिगिकी का प्रयोग।

1.9.1 रूपान्तरण योजना के अंतर्गत नियोजित गतिविधियां।

(i) भारत में भांडगरण क्षेत्र के लिए गुणात्मक सर्वेक्षण की योजना बनाकर तीन वार्षिक गुणात्मक सर्वेक्षण करना।

(ii) प्रक्रियाओं के सरलीकरण, भांडागारो के सशक्त निरीक्षण तथा शिकायतों एवं विवादों के निपटान के लिए भांडागारों के पंजीकरण के लिए नियमों विनियमों का पुनः तैयार/विनिर्माण करना तथा शिकायतों एवं विवादों के निपटान की व्यवस्था करना।

(iii) रूपान्तरण योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक सलाहकार की नियुक्ति।

(iv) इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के सृजन एवं प्रबंधन के लिए रेपोजिटरों को लाइसेंस प्रदान करना।

(v) डब्लू.डी.आर.ए. के पोर्टल, ऑनलाइन कारोबार प्रक्रियाएं, पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रणाली, आंतरिक ऑटोमेशन के लिए आई टी इको–सिस्टम के विकास हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति।

1.9.2. गुणात्मक सर्वेक्षणः

भारत में भांडागारण के क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा भांडागार इको प्रणाली के हितधारकों के अनुभवों की जानने, देश के विभिन्न भागों में भांडागार कारोबार, किस प्रकार चल रहा है, यह समझने तथा भांडागार रसीद वित्त बाजार तथा जोखिम के बारे में पता लगाने के लिए अप्रैल–जून, 2015 के दौरान 9 राज्यों के 11 जिलों में गुणात्मक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह पता लगा कि मुख्यतः कृषि वस्तुओं का भंडारण, स्टॉक के संग्रह एवं परिरक्षण सहित ऋण प्राप्त करने के लिए किए जाता है। सर्वेक्षण वाले सभी जिलों में गिरवी द्वारा वितपोषण में वृद्धि पायी गयी, लेकिन यह व्यवस्था अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों तथा विकसित कृषि बाजारों में अधिक सशक्त देखी गई। कुछ बड़े भांडागार सेवा प्रदाताओं के पास रिकॉर्ड रखने तथा भांडागार रसीदों के सृजन के लिए इलेक्ट्रोनिक प्रणालियाँ हैं। लेकिन बाजार का अधिकत्तम हिस्सा मैनुअल तथा कागज आधारित है। कृषक समुदाय, जमाकर्ताओं बहुत छोटा हिस्सा है, जबकि बड़े उपयोगकर्ता व्यापारी तथा सरकारी एजेंसियाँ जैसे भारतीय खाद्य निगम, नेफेड आदि हैं।

1.9.3. मात्रात्मक सर्वेक्षणः

भारत में तीन वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण अगस्त, 2015 से मार्च, 2016, जून 2016 से अक्टूबर, 2016 तथा मार्च, 2017 से जुलाई, 2017 की अवधि के दौरान मैसर्स टी. एन. एस. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से करवाए गए। मात्रात्मक सर्वेक्षण आयोजित करने का उद्देश्य उद्योग के अंदर आधारभूत सुविधाओं, मालिकाना हक, प्रयोग का पैटर्न, वस्तु वित्तपोषण तथा भांडागारपालों, जमाकर्ताओं तथा देनदारों के हितों का पता लगाना था।

1.9.4. सूचना प्रौद्योगिकी पहलः

रूपान्तरण योजना के अधीन डब्लू. डी. आर. ए. ने इलैक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद एवं अपने आंतरिक कार्यालय की ऑटोमेशन प्रक्रियाओं के लिए परक्राम्य भांडागार रसीदों को इलेक्ट्रोनिक रूप देने तथा आईटी इको सिस्टम विकसित करने का कार्य हाथ में लिया ।

(क) इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (इ.एन.डब्लू.आर) प्रणाली

भांडागार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 11 के अनुसार भांडागार रसीद लिखित में अथवा इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार भांडागार रसीद को भांडागारपाल अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि (डिपोजिटरी सहित जिसे जो भी नाम दिया जाए) द्वारा भंडारित माल के लिए, जिसका मालिकाना हक भांडागारपाल के पास नही है, लिखित में अथवा इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ की गई रूपान्तरण योजना के अधीन भौतिक / पेपर एनडब्लूआर से जुड़ी सभी जोखिमें समाप्त हो गई हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 23 फरवरी, 2017 को अधिसूचित भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 27 के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि भांडागारों का पंजीकरण उस तारीख से, जिसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, ई–एन डब्लू आर रिपोजिटरी के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कोई भांडागारपाल परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप में जारी नहीं करेगा तथा इसे जारी करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक या अधिक रिपोजिटरी के पास पंजीकृत कराएगा। प्राधिकरण ने इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार प्रणाली से संबंधित विनियमन भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियमन, 2017 दिनांक 29 जुलाई, 2017 द्वारा जारी कर दिए हैं।

प्राधिकरण ने सेबी द्वारा विनियमित परक्राम्य भांडागार रसीदों के सृजन, भंडारण तथा प्रबंधन के लिए दो रिपोजिटरी अर्थात् (i) मैसर्स सी डी एस एल कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड (सी सी आर एल) (मैसर्स सैण्ट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत कम्पनी) (सी डी एस एल) तथा (ii) (एन ई आर एल) नेशनल कमोडिटी एवं ड्रिवेटिव (एन सी डी ई एक्स द्वारा प्रोन्नत) को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। रिपोजिटरी, भांडागारपाल द्वारा सृजित इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (ई–एन डब्लू आर) का इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड का रख–रखाव करने सहित इसकी गोपनीयता, निष्ठा तथा ई एन डब्लू आर से सबंधित सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। दोनो रिपोजिटरी को 23.12.2016 को लैटर ऑफ इनटेंट (एल.ओ.आई) जारी किए गए थे ताकि वे निश्चित अवधि में इलेक्ट्रोनिक प्रणाली तथा रिपोजिटरी लाईसेंसिग का कार्य पूरा कर सकें। रिपोजिटरी प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा आवेदनों के परिभाषित आवश्यकताओं के अनुसार सभी माइलस्टोन तथा दस्तावेजीकरण पूरे कर लिए थे। तत्पश्चात् 26 सितम्बर, 2017 को परिचालन प्रारंभ करने के लिए मैसर्स सी सी आर एल तथा, मैसर्स एन ई आर एल को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किए गए ।

दोनो रिपोजिटरी अब परिचालन में हैं तथा सभी पंजीकृत भांडागार ऑन–बोर्ड कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रिपोजिटरी प्रणाली के उपयोकर्ताओं के लिए रिपोजिटरी सेवाओं के विस्तार के लिए रिपोजिटरी भागीदार भी लगाए गए हैं।

श्री राम विलास पासवान, माननीय मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) तथा श्री सी. आर.चौधरी माननीय राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) का स्वागत करते हुए डॉ.बी. बी. पटनायक, अध्यक्ष (प्रभारी) श्री पी. श्रीनिवास, सदस्य, एवं श्री टी. के. मनोज कुमार, अपर सचिव, डब्लू.डी. आर.ए. 26 सितम्बर, 2017 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेअरहाउस रसीद प्रणाली तथा डब्लू.डी.आर.ए पोर्टल के शुभारम्भ के अवसर पर स्वागत करते हुए।

(ख) प्राधिकरण के लिए आई टी इको प्रणाली।

प्राधिकरण की सूचना प्रौद्योगिकी इको प्रणाली में ई–पोर्टल, ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण एवं निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रणाली वेअरहाउस मैनेजमेंट प्रणाली (डब्लू.एम.एस) शिकायत एवं विवाद निपटान प्रणाली, आंतरिक ऑटोमेशन के लिए ई. आर. पी., कारोबार प्रक्रिया ऑटोमेशन, इत्यादि शामिल हैं। मैसर्स सी एम एस को आई.टी. अनुप्रयोगों एवं संचालन के लिए सिस्टम इंटिग्रेटर के रूप में नियुक्त किया है।

मैसर्स सी.एम.एस. ने डब्लू.डी.आर.ए. ई–पोर्टल, ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण माड्यूल तथा ऑनलाइन भांडागार निरीक्षण माड्यूल, ऑनलाइन पंजीकरण नवीकरण माड्यूल रजिस्ट्रेशन का समर्पण माड्यूल विकसित किया है। ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा निरीक्षण सहित डब्लू.डी.आर.ए. पोर्टल का शुभारंभ 26.09.2017 को किया गया है। ऑनलाइन वेअरहाउस रजिस्ट्रेशन तथा निरीक्षण मॉड्यूल ने 01.11.2018 से पूरी तरह कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ग) ई–कार्यालय की शुरूआत

प्राधिकरण में कार्यालय के अंदर फाइलों की प्रोसेसिंग के लिए एन आई सी कार्यालय आई.टी.एप्लीकेशन का प्रयोग शुरू किया है। यह आई.टी.एप्लीकेशन केन्द्र सरकार के अधिकतर कार्यालयों द्वारा काम में लिया जा रहा है। प्राधिकरण में 01 जनवरी, 2018 से ई–कार्यालय का प्रयोग प्रारम्भ है तथा अधिकतर फाइलें ई–फाइल में हस्तांतरित की गई है। प्रशासन, स्थापना, वित्त तथा नीति मामलों से संबंधित सभी सरकारी काम ई–कार्यालय के माध्यम से निपटाए जाते हैं। भांडागार पंजीकरण से जुड़े सभी मामले ऑनलाइन निपटाए जा रहे हैं।

1.10 भांडागारण परामर्शदात्री समिति :

वर्ष 2017–18 में भंडागारण परामर्शदात्री समिति की 15 मई, 2017 को बैठक हुई। परामर्शदात्री समिति ने भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के (इलेक्ट्रोनिक परक्रम्य भांडागार रसीद) विनियमन, 2017 के प्रस्ताव पर विचार किया तथा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित करने से पहले भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेजने का निर्णय लिया।

1.11 प्राधिकरण की वैबसाइट

डब्लू.डी.आर.ए. के संबंध में समस्त सूचनाएँ इसकी वैबसाइट : **www.wdra.gov.in** पर उपलब्ध हैं। नियमों तथा विनियमों के संबंध में विभिन्न अधिसूचनाएं, परिपत्र दिशानिर्देश, रिक्तियों का विज्ञापन, निविदाएँ आदि नियमित रूप से वैबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। पंजीकरण से संबन्धित अपेक्षाएँ, पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप तथा डब्लू . डी. आर. ए. के पास पंजीकृत भांडागारों से संबन्धित सूचनाएँ भी वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती हैं। प्राधिकरण ने अपना वैबसाइट हिन्दी में भी विकसित किया है।

1.12 विज्ञापन एवं प्रचार

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा 26 सितम्बर, 2017 को प्राधिकरण के ई–पोर्टल तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार प्रणाली के शुभारम्भ के साथ ही प्राधिकरण ने किसानों तथा अन्य हितधारकों के लिए इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार प्रणाली के लाभों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी में विज्ञापन जारी किया।

प्राधिकरण ने **"सुरक्षित भंडारण–समृद्ध किसान"** शीर्षक से 6–मिनट की एक विडियो फिल्म भी बनाई है, जिसमें सार्वजनिक भांडागारों तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों/इलेक्ट्रोनिक भांडागारो' रसीदों के लाभों को रेखांकित किया गया है। यह विडियो फिल्म भी माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा 26 सितम्बर, 2017 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुभारम्भ के लिए आयोजित कार्यक्रम में रिलीज की गई। इसे व्यापक रूप देखे जाने के लिए यू ट्यूब तथा प्राधिकरण के वैबसाइट पर अपलोड किया गया है। फिल्म को प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया गया है तथा विभिन्न जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के महत्वपूर्ण प्रावधानों, नए भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 में पंजीकरण अपेक्षाओं, अधिसूचित वस्तुओं आदि का ब्यौरा देते हुए हिंदी तथा अंग्रेजी में विवरण–पुस्तिकाएँ तैयार की गई हैं। विवरण पुस्तिका भाण्डागारपालों/डब्लू एस पी जैसे लक्ष्य समूहों में वितरित की जा रही हैं ताकि उन्हें पंजीकरण की नई प्रणाली, ई–एन.डब्लू.आर प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिल सके। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान किसानों में वितरित करने के लिए हिन्दी में पैम्फलेट भी तैयार किए गए हैं।

अध्याय– II

नीतियाँ तथा कार्यक्रम

2. भांडागारण क्षेत्र के सामान्य वातावरण की समीक्षा

2.1. उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में किसानों की सहायता के लिए कृषि वित्त पोषण

देश में छोटे एवं सीमांत किसानों के सामने उनकी उपज का लाभकारी मूल्य न मिलना एक बड़ी चुनौती है। फसल कटाई के तुरंत बाद बाजार में उपज का मूल्य बहुत कम एवं अलाभकारी होता है। आवश्यकता से अधिक उपज के कारण तथा कृषकों को सामाजिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए धन की तुरंत आवश्यकता होने से उपज की मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है। कृषि क्षेत्र में वित्तपोषण प्रणाली होने से न केवल किसानों को सहायता मिलेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। सार्वजनिक भांडागारों में उपज का भंडारण कराने से भांडागार रसीद के रूप में फसल बाद ऋण के लिए पहुँच होने से आगामी समय में उन्हें उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है तथा मजबूरन बिक्री से बचा जा सकता है। भांडागार में वैज्ञानिक भंडारण किए जाने से भंडारण हानियाँ कम हो जाती हैं। इससे भी किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलने सहित पूरी वस्तु–प्रणालियों में धन की उपलब्धता बढ़ती है। इस प्रणाली से न केवल मूल्यों की घटत–बढ़त को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है बल्कि किसानों की पहुँच भी वित्तपोषण के एक साधन तक हो जाती है। इन सब को संभव बनाने के लिए एक प्रभावकारी भांडागार प्रणाली की आवश्यकता है जिसे संगठित कानूनी एवं विनियामक समर्थन प्राप्त हो तथा भांडागार प्रणाली द्वारा वित्त पोषण में मानक स्थापित हो सकें।

2.1.1 सार्वजनिक भांडागारण के माध्यम से परक्राम्य भांडागार रसीद ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की शक्ति

सार्वजनिक भांडागार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। चूंकि ये भांडागार बैंको को स्वीकार्य हैं, तथा वित्त के लिए अधिक से अधिक जमाकर्ता इनका लाभ उठा सकते हैं। एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक भांडागारण प्रणाली से व्यापक कोमोडिटी एवं ग्रामीण वित्त बाजार के विकास में योगदान मिलता है तथा विभिन्न वस्तुओं के लेन–देन के लिए मानक स्थापित होते हैं। इसके अतिरिक्त परक्राम्य (व्यापार–योग्य) भांडागार रसीद से वस्तु लेन–देन सुगम तथा तीव्र हो जाता है। ऐसा होने से एक ओर किसानों को सहायता मिलती है वहीं दूसरी ओर पंजीकृत/नियमित सार्वजनिक भांडागारों से कोमोडिटी एक्सचेंज के विकास में योगदान मिलता है, चूंकि इसके लिए डिलिवरी बिन्दुओं पर गुणवत्ता प्रमाणन की आवश्यकता होती है। जहाँ तक वित्तीय संस्थाओं का संबंध है, सार्वजनिक भांडागारों द्वारा जारी की गई परक्राम्य भांडागार रसीद कम से कम स्वामित्व वाली गिरवी लिखत है जो कर्जदार द्वारा अपनी संपति गिरवी रखने से बेहतर है।

भारत में समय के साथ वेअरहाउसिंग उद्योग पारम्परिक चार दीवार वाले गोदामों से आधुनिक वैज्ञानिक, सुसंगठित आपूर्ति श्रंखला आधारित उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। गत दशक के दौरान भारत सरकार द्वारा कृषि तथा बागवानी वस्तुओं के भंडारण, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए सब्सिडी तथा करों में छूट जैसे प्रोत्साहन दिये जाने के कारण निजी क्षेत्र कृषि वस्तुओं के लिए भांडागारों में तेजी से निवेश करता रहा है। इसके अतिरिक्त पी.ई.जी. 2008 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपयोग गारंटी दिये जाने के फलस्वरूप उत्पादन एवं उपभोग वाले राज्यों में 15 मिलियन टन क्षमता निर्मित की गई है।

2.2 अविनियमित भांडागार/भांडागार रसीदों से जुड़ी जोखिम।

भारत सरकार द्वारा भांडागारों के लिए विनियामक क्रियाविधि हाल में की गई एक पहल है। अतः अविनियमित भांडागारों की एक बहुत बड़ी संख्या नए फ्रेमवर्क में लाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार के प्रयास प्राथमिकता के आधार पर नहीं किए गए तो, विनियमन के अभाव में प्रणाली में निम्नलिखित जोखिम तथा असुरक्षित स्थितियाँ पैदा होने की संभावना है :–

- परक्राम्य भांडागार रसीद के लिए अपर्याप्त बैकअप।
- बिना सामान प्राप्त किए परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना।
- प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना डुप्लीकेट परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना।
- भांडागार रसीद प्राप्त किए बिना सामान की डिलिवरी देना।
- आप्राधिकृत परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना।
- धोखाधड़ी से सामान का अधिक मूल्य दिखाना।
- संबन्धित सामान के विधिमान्य लिअन के लिए पूर्व आवश्यकता के रूप में भांडागार रसीद की कानूनी परक्राम्यता से जुड़े मुद्दे।
- भांडागार रसीदों की कानूनी परक्राम्यता के बिना हस्तांतरण/पृष्ठांकन के मामले में सामान के विधिमान्य हस्तांतरण से जुड़ी समस्याएँ।
- अनियमित भांडागारों के मामले में मुकदमेबाजी की अधिक संभावना

2.3 भांडागारण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की आवश्यकता

देश में कुशल भांडागारण की शक्ति परक्राम्य भांडागारण रसीद प्रणाली के विनियामक स्तर पर निर्भर करती है। इसके लिए व्यापक नियामक निकाय के पर्यवेक्षण में कारोबार के नियम स्थापित करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क की अत्यंत आवश्यकता है। भांडागारण इको प्रणाली में संबन्धित राज्य अधिनियमों के अधीन लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक भांडागार शामिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त भांडागार पर्याप्त वित्तीय प्रतिभूति, गारंटी तथा बीमा बैकअप प्रदान करने वाली एक विनियामक के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए। बैंक भी इस नियामक भांडागारण तथा परक्राम्य भांडागार प्रणाली से पूरी तरह अवगत होने सहित इस प्रकार की विनियामक प्रक्रिया के अभिन्न भाग हों ताकि भांडागार रसीद प्रणाली के लाभ अर्थव्यस्था को प्राप्त हो सकें। भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 को बनाने तथा भारत सरकार द्वारा तत्पश्चात भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण का गठन करना देश में सुव्यवस्थित भांडागारण प्रणाली के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भांडागार रसीद की परक्राम्यता का उद्देश्य न केवल उच्च विपणन मौसम में उपज की मजबूरन बिक्री से किसानों का बचाव करना है बल्कि भंडारित कृषि उत्पाद के विरुद्ध संस्थागत ऋण को भी सुगम बनाना है। भांडागार रसीदों/परक्राम्य भांडागार रसीदों द्वारा गिरवी वित्तपोषण से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की अनौपचारिक वित्तपोषण पर आश्रितता घटी है तथा कुछ सीमा तक उनकी आय बढ़ी है। भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों से एन.डब्लू.आर. प्रणाली में बैंकों का न्यासी विश्वास बढ़ा है। इस प्रकार बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने में सुविधा हुई है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत भांडागारों में भंडारित सामान चूंकि सभी जोखिमों के लिए बीमाकृत होता है, इसलिए जमाकर्ता तथा बैंकों की हितों की पूरी सुरक्षा हो जाती है।

2.4 भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति।

देश में भांडागारण क्षमता का प्रमुख भाग सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे भारतीय खाद्य निगम, (एफ सी आई), केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्लू.सी) और राज्य भंडारण निगमों (एस.डब्लू. सी) राज्य विपणन संघो, राज्य आपूर्ति निगमों आदि द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित संगठित भांडागारों की मौजूदा क्षमता **158.52** मिलियन टन है। ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

तालिकाः 2.1

क्रम संख्या	संगठन / क्षेत्र का नाम	भांडागारण क्षमता (मिलियन टन)
1.	भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई)	36.25
2.	केन्द्रीय भंडारण निगम (सी डब्लू सी)	10.14
3.	राज्य भंडारण निगम (एस डब्लू सी) तथा राज्य एजेंसियां	39.31
4.	सहकारी क्षेत्र	15.07
5.	निजी क्षेत्र	57.75
	कुल	**158.52**

स्रोतः भारतीय खाद्य निगम पोर्टल, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार पोर्टल, एसोचैम– भारत में भांडागारण पर राष्ट्रीय शिखर वार्ता तथा कृषि विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार।

अध्याय– III

3. कृषि विपणन तथा भांडागारण से संबन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा।

3.1 कृषि विपणन अवसंरचना।

कृषि विपणन अवसंरचना के सृजन के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय अर्थात् विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आइ) कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम. आई.) का क्रियान्वयन कर रहा है। यह कृषि विपणन एकीकृत योजना (आई.एस.ए.एम) की उप योजना है। ग्यारवीं योजना अवधि के लिए आई.एस.ए.एम की उपयोजना (ए.एम.आइ.) स्वीकृत की गई थी जो 01.04. 2014 से लागू है। यह उपयोजना दो चालू योजनाओं अर्थात 01.04.2001 से क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण भंडारण योजना (जी.वी.आई) तथा कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि तथा किसान मंत्रालय की 20.10.2004 से क्रियान्वित की जा रही कृषि विपणन अवसंरचना के विकास/सशक्तिकरण, श्रेणीकरण, मानकीकरण योजना को सम्मिलित करते हुए बनाई गई है।

योजना के मुख्य उद्देश्य (1) विपणन योग्य कृषि सरप्लस जिसमे बागवानी तथा सम्बद्ध क्षेत्र जैसे डेयरी, मुर्गीपालन, मछली पालन, पशु पालन तथा लघु वनोत्पाद शामिल हैं; के लिए कृषि विपणन अवसंरचना विकसित करना (2) कृषि उत्पाद, प्रसंस्कारित कृषि उत्पाद, कृषि इनपुट आदि के लिए वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के सृजन को बढ़ावा देना (3) कृषि उत्पादो के श्रेणीकरण, मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना तथा गिरवी वित्तपोषण एवं विपणन ऋण, परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली को बढ़ावा देना है।

ए.एम.आई योजना उत्तरवर्ती देय किस्त योजना है जिसमें सब्सिडी दर 25% से 33.33 तक भिन्न–भिन्न है तथा लाभार्थियों की श्रेणी पर आधारित हैं। परियोजना की पूंजी लागत पर सब्सिडी दी जाती है।

कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आई.एस.ए.एम) की उपयोजना कृषि विपणन अवसंरचना योजना (पूर्व मे ग्रामीण गोदाम योजना) के अंतर्गत 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार राज्यवार सृजित भंडारण क्षमता इस प्रकार है :–

तालिकाः 3.1

क्र. संख्या	राज्य	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एन.सी.डी.सी. द्वारा स्वीकृत (नई)		एन.सी.डी.सी. द्वारा स्वीकृत (नवीकरण)		कुल (स्वीकृत)		भांडागारो की क्षमता निमार्ण (मी.टन.)
		परियोजनाओं की संख्या	भांडागारो की क्षमता (मी.टन.)	परियोजनाओं की संख्या	भांडागारो की क्षमता (मी.टन.)	परियोजनाओं की संख्या	भांडागारो की क्षमता (मी.टन.)	परियोजनाओं की संख्या	भांडागारो की क्षमता (मी.टन.)	
1	आंध्रप्रदेश	1302	5318598	16	1600	8	800	1326	5320998	5408001
2	अरूणाचल प्रदेश	1	945	0	0	0	0	1	945	945
3	असम	324	1072207	1	650	0	0	325	1072857	846381
4	बिहार	286	410226	680	72161	24	4800	990	487187	482387
5	छत्तीसगढ़	517	1685195	77	258350	0	0	594	1943545	1915473
6	गोवा	1	299	0	0	0	0	1	299	299
7	गुजरात	11540	4114560	104	338230	19	19600	11663	4472390	4412820
8	हरियाणा	576	5467656	778	705699	658	330517	2012	6503872	5996133
9	हिमाचल प्रदेश	42	22486	45	5000	0	0	87	27486	23169
10	जम्मू एवं कश्मीर	14	83027	0	0	0	0	14	83027	83027
11	झारखंड	26	142316	0	0	0	0	26	142316	148816
12	कर्नाटक	4320	3686894	237	212219	3	415	4560	3899528	3853942
13	केरल	40	55806	166	34705	0	0	206	90511	85671
14	मध्य प्रदेश	2818	10113648	699	364683	315	105970	3832	10584301	10392587
15	महाराष्ट्र	3497	6262489	39	289922	45	118300	3581	6670711	5754092
16	मेघालय	9	20262	7	750	0	0	16	21012	21012
17	मिजोरम	1	302	0	0	0	0	1	302	302
18	नागालैण्ड	1	814	0	0	0	0	1	814	814
19	ओडिशा	687	998180	0	0	4	11000	691	1009180	700470
20	पंजाब	1533	6355146	3	1000	209	385696	1745	6741842	6356145
21	राजस्थान	1227	2600549	100	63250	127	12700	1454	2676499	2363801
22	तमिलनाडु	303	1183704	180	47330	639	82490	1122	1313524	1327051
23	तेलंगाना	723	4480930	3	4980	0	0	726	4485910	1503748
24	त्रिपुरा	5	28764	0	0	0	0	5	28764	28764
25	उत्तर प्रदेश	542	3927221	31	164580	546	1230768	1119	5322569	3634352
26	उत्तराखंड	249	718539	33	25250	4	18600	286	762389	743589
27	पश्चिम बंगाल	2485	1574673	54	5550	13	1300	2552	1581523	1565292
28	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	33069	60325436	3253	2595909	2614	2322956	38936	65244301	57649084

3.2 खाद्यान्नों का उत्पादन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश ने खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जैसा कि नीचे दिये गए आंकड़ो से स्पष्ट होता है:-

3.3 स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन।

तालिका: 3.1

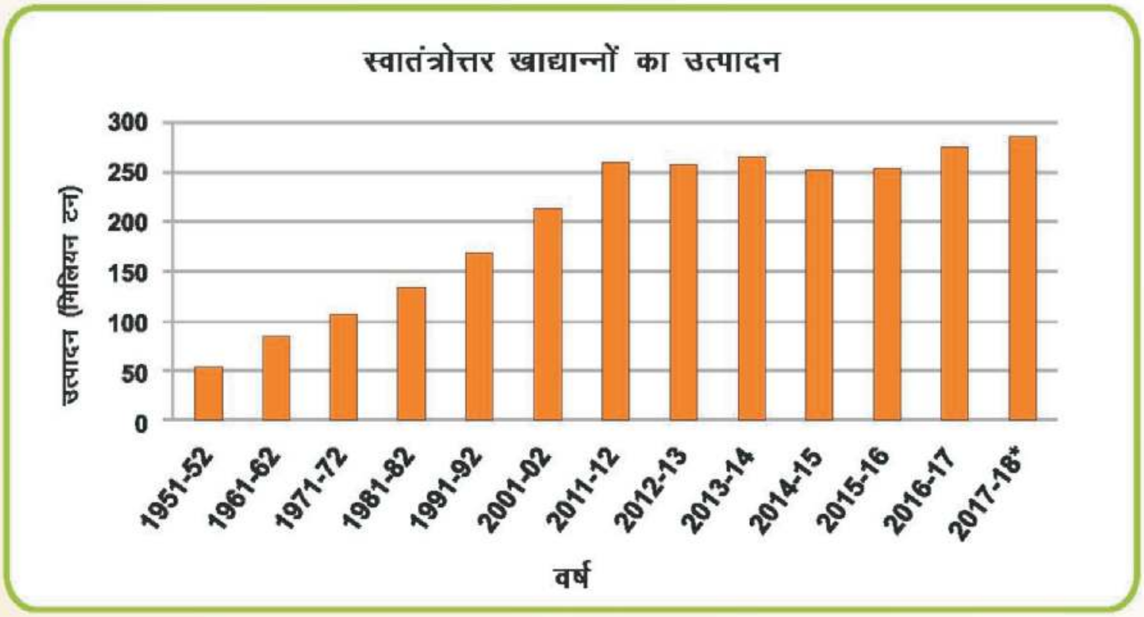

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का चौथा अग्रिम अनुमान

2017 के मानसून के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में लगभग सामान्य वर्षा तथा सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीति पहलों के फलस्वरूप देश में वर्ष 2017-18 में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2017-18 में खाद्यान्नों का उत्पादन अब तक का सबसे अधिक अर्थात 284.83 मिलियन टन रहा जबकि वर्ष 2016-17 में खाद्यान्नों का 275.11 मिलियन टन रहा था। फसल/समूह वार विवरण इस प्रकार है

तालिका: 3.2

उत्पादन मिलियन टनों में

फसल /समूह	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18*
चावल	109.70	112.91
गेहूं	98.51	99.70
मोटे अनाज	43.77	46.99
दालें	23.13	25.23
कुल	**275.11**	**284.83**

* कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार का चौथा अग्रिम अनुमान

3.4 अन्य प्रमुख फसलों का उत्पादन।

देश मे अच्छी वर्षा होने तथा अनुमानो के अनुसार कपास का उत्पादन 35.19 मिलियन गाँठ (प्रत्येक गाँठ का भार 170 कि.ग्रा.) जबकि गन्ने का 376.91 मिलियन टन होने की उम्मीद है। तिलहनों का उत्पादन, जिसमे मूँगफली, सरसों तथा सोयाबीन शामिल हैं 31.31 मिलियन टन होने की उम्मीद है जो वर्ष 2016–17 के 31.28 मिलियन टन से थोड़ा अधिक है।

3.5 केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद।

खाद्यान्नों की खरीद (चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज) संबंधित विपणन मौसम के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए खरीफ विपणन मौसम तथा रबी विपणन मौसम शुरू होने से पहले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा खाद्यानों के एक समान स्पेसिफिकेशन (एफ.ए.क्यू.मानक) निर्मित एवं अधिसूचित किए जाते हैं। एक समान स्पेसिफिकेशन सभी केंद्रीय एवं राज्य खरीद एजेंसियों को समय से पूर्व अधिसूचित किए जाते हैं। केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समान स्पेसिफिकेशन वाले खाद्यान्न स्टॉक की खरीद की जाती है। वर्तमान मे, 23 वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं लेकिन मुख्यतः गेहूं तथा चावल एवं दालों के लिए ही प्रभावी मूल्य समर्थन उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा लंबी अवधि के भंडारण से होने वाली हानियों को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए सरकार ने गेहूं तथा धान/चावल की खरीद को अधिकतम स्तर पर रखने तथा पुराने स्टॉक के समापन की नीतियाँ अपनायी हैं ताकि भारतीय खाद्य निगम के पास 2 वर्ष से अधिक जारी किया जा सकने वाला कोई स्टॉक उसे आगे न ले जाना पड़े।

31.03.2018 को केन्द्रीय पूल मे खाद्यान्नों का स्टॉक 433.87 लाख मेट्रिक टन था जिसमे चावल (चावल के रूप में धान) 300.43 लाख मेट्रिक टन, गेहूं 132.31 लाख मेट्रिक टन तथा मोटे अनाज 1.13 लाख मेट्रिक टन थे।

गत आठ वर्षो के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों (चावल तथा गेहूँ) की खरीद इस प्रकार रही :

आरेख 3.2

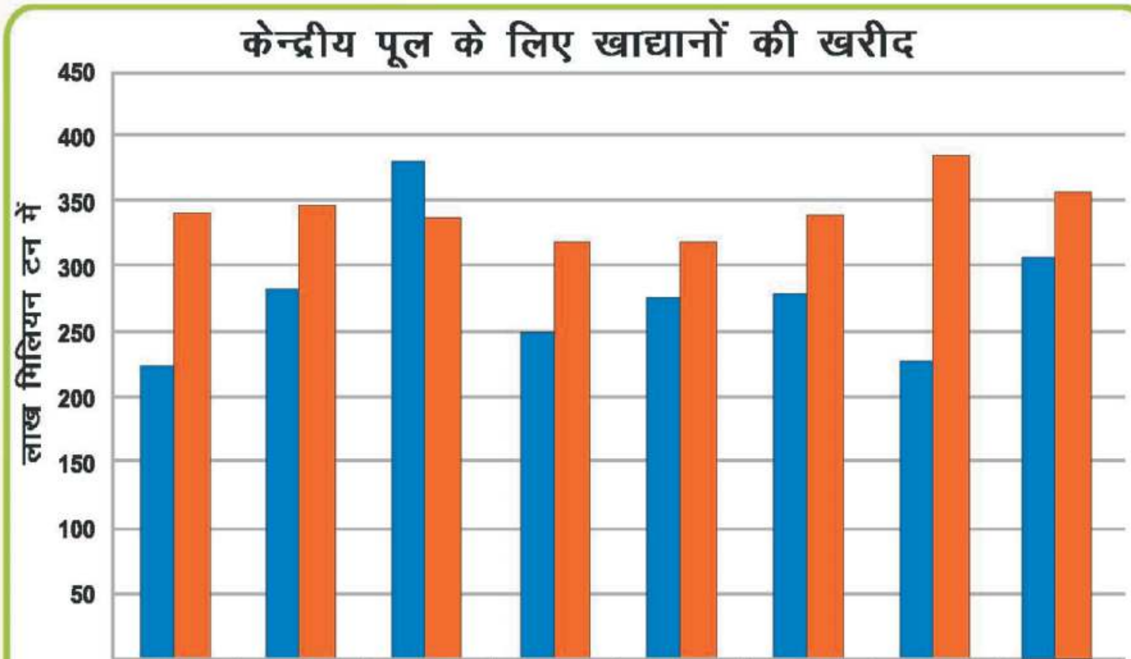

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गेहूं	225.14	283.35	381.48	250.92	280.23	280.88	229.62	308.24
चावल	341.98	350.41	340.28	318.64	320.4	342.18	387.25	361.8

वर्ष 2017–18 के दौरान भा.खा.नि द्वारा राज्यवार मोटे अनाजों की खरीद

आरेख 3.3

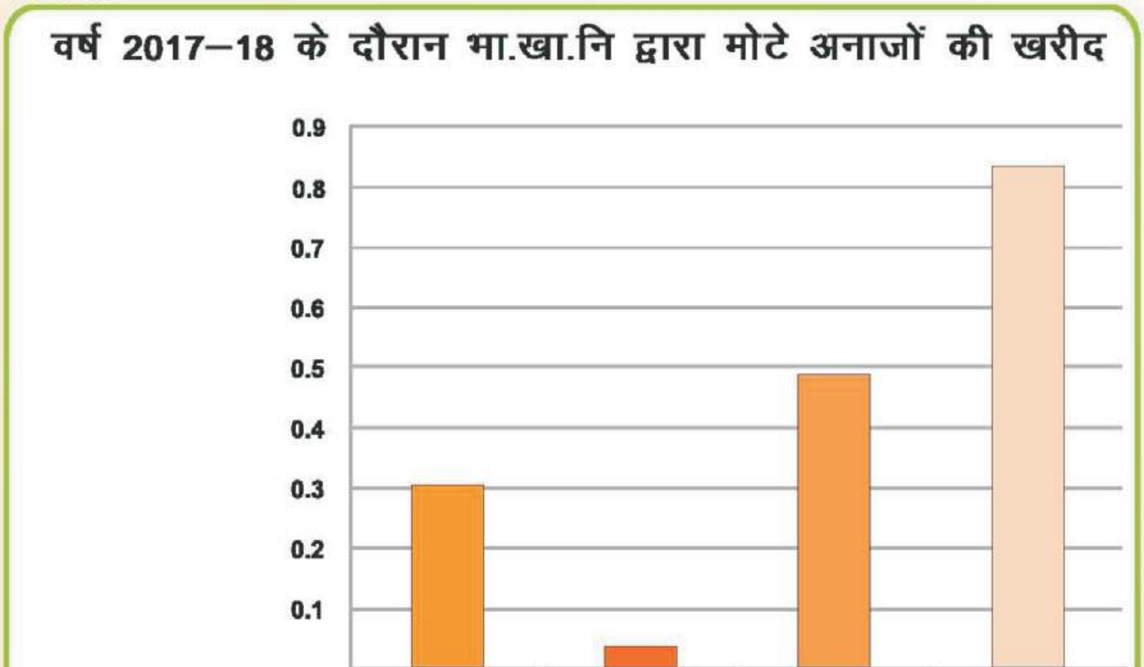

	हरियाणा	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	कुल
मात्रा (लाख मिलियन टन में)	0.31	0.04	0.49	0.84

3.6 दालों की खरीद।

अधिकतर दालों के बाजार भाव उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाने के कारण भारत सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया तथा भारतीय खाद्य निगम (भा. खा. नि.) तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) एवं एस.एफ.ए.सी. (लघु किसान एग्री बिजनेस कांसोट्रियम) को प्रमुख मंडियो में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीद के लिए लगाया गया। मूल्य स्थिरीकरण निधि (पी.एस.एफ) के अधीन 2017–18 में एजेंसीवार तथा वस्तुवार दालों की खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका:3.3 (आंकडे मी.टन में)

दालें	भा.खा.नि.	नैफेड	एस एफ ए. सी	कुल
मूंग	0	0	0	0
उड़द	0	0	0	0
तूर	16596.59	245194.97	1787.55	263579.11
चना	0	60254.67	0	60254.67
मसूर	0	27073.89	0	27073.89
कुल	**16596.59**	**332523.53**	**1787.55**	**350907.67**

स्रोतः भारतीय खाद्य निगम

वर्ष 2017–18 में नैफेड ने मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस) के अधीन दालों की खरीद की। राज्यवार तथा वस्तुवार विवरण नीचे दिया गया है:–

वस्तु	राज्य	आंकडे मी.टन में
तूर/अरहर/खरीफ 2016	महाराष्ट्र	114999.55
	कर्नाटक	31607.75
	गुजरात	49600.60
	कुल	**196207.90**
तूर/अरहर/खरीफ 2017	तेलंगाना	75300.00
	आंध्रप्रदेश	55600.00
	कर्नाटक	335561.70
	महाराष्ट्र	185182.33
	गुजरात	7824.72
	कुल	**659468.75**
चना/रबी 2018	राजस्थान	8762.07
	आंध्रप्रदेश	18505.15
	कर्नाटक	63901.26
	तेलंगाना	31344.35
	महाराष्ट्र	5784.58
	कुल	**128297.41**
मूंग/रबी 2017	आंध्रप्रदेश	111001.29
	ओड़िशा	1405.88
	कुल	**112407.17**
उड़द समर 2017	मध्य प्रदेश	15747.65

उड़द खरीफ 2017	तेलंगाना	11170.41
	आंध्रप्रदेश	13600.00
	कर्नाटक	13090.50
	राजस्थान	130854.39
	महाराष्ट्र	58196.78
	गुजरात	19878.20
	उत्तर प्रदेश	22567.99
	पश्चिम बंगाल	4728.58
	कुल	**274086.85**
	कुल योग	**1386215.73**

स्रोतः नैफेड

3.7 निजी उद्यमी गारंटी योजना 2008।

सरकार ने निजी उद्यमियों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के लिए भंडारण क्षमता के निर्माण हेतु योजना घोषित की, जिसे निजी उद्यमी गारंटी (पी.ई.जी) योजना कहा जाता है। तदनुसार, भारत सरकार ने 28.07.2008 को भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों (गैर डीसीपी राज्यों) के लिए एक योजना प्रचालित की गयी थी जिसके लिए भंडारण आवश्यकता का निर्धारण सम्पूर्ण खरीद, क्षेत्र की उपभोग आवश्यकताओं तथा विद्यमान भंडारण क्षमता के आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाना था। उपभोग वाले राज्यों में इस प्रकार का निर्धारण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए स्टॉक की 4 महीनों की आवश्यकताओं के आधार पर तथा खरीद वाले राज्यों के लिए इस प्रकार का निर्धारण गत तीन वर्षों के उच्चतम स्टॉक स्तर पर आधारित था। पी.ई.जी. योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशकों को 10 साल की गारंटी तथा केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य एजेंसियों को 9 साल की गारंटी देता है।

राज्य स्तरीय समितियों (एस.एल.सी) से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 22 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर निजी उद्यमी गारंटी गोदामों के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा 161.43 लाख मेट्रिक टन क्षमता अनुमोदित की गयी है। इस क्षमता में से 141.32 लाख मेट्रिक टन क्षमता पूरी की जा चुकी है तथा 31.03.2018 को 7.07 लाख मेट्रिक टन निर्माण के विभिन्न स्तरों के अधीन है।

3.8 भारतीय खाद्य निगम के लिए साइलो के रूप में भंडारण सुविधाओं में वृद्धि/आधुनिकीकरण।

भारतीय खाद्य निगम, वर्ष 2007 से 5.50 मी. टन क्षमता के साइलो परिचालित करता आ रहा है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कुल 6.25 लाख मी. टन के और साइलो निर्मित किए गए है जिसमें 4.5 लाख मी. टन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, 1.5 लाख मी. टन पंजाब सरकार द्वारा तथा 0.25 लाख मी. टन भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित किए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 16.50 लाख मी. टन, पंजाब सरकार द्वारा 15.50 लाख मी. टन क्षमता के साइलो निर्मित करने के लिए ठेके दिये गए हैं। इसके अलावा भारतीए खाद्य निगम द्वारा 19 स्थानों पर 10.00 लाख मी. टन तथा केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा एक स्थान पर 0.50 लाख मी. टन के लिए निविदाएँ जारी की गई हैं।

3.9 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–एन ए एम)।

कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों का सूत्रपात करने, देश में कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने तथा किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार ने 01.07.2015 को राष्ट्रीय कृषि बाजार (एन.ए.एम) योजना अनुमोदित की थी। एन.ए.एम. की पायलट योजना 8 राज्यों की 21 मंडियों में 14. 04.2016 को प्रारम्भ की गई। इस योजना के अधीन ऑनलाइन ट्रेडिंग विकसित करने हेतु गेट एंट्री सहित मंडियों की पूरी कार्य प्रणाली का डीजिटाइजेशन, लॉट मैनेजमेंट, बोली लगाना, ई बिक्री करार, ई भुगतान आदि विषम सूचना को हटाने, लेन–देन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा देश में बाजारों की पंहुच बढ़ाने के लिए 585 नियमित बाजारो में वैब आधारित प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त ई–एन.ए.एम में ट्रेडिंग के लिए वस्तुओं की बिक्री को सरल बनाने के लिए 90 कृषि वस्तुओं के लिए सामान्य व्यापार पैरामीटर बनाए गए हैं। इससे किसानों को अवश्य लाभ प्राप्त होगा।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ई– एन. ए. एम. से एकीकृत मंडी
(16 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में ई–एन.ए.एम से जुडी 585 मंडियां)

राज्य	नियमित बाजार
आंध्रप्रदेश	22
चंढ़ीगड	1
छत्तीसगढ़	14
गुजरात	79
हरियाणा	54
हिमाचल प्रदेश	19
झारखंड	19
मध्य प्रदेश	58
महाराष्ट्र	60
उड़ीसा	10
पुडुचेरी	2
पंजाब	19
राजस्थान	25
तमिलनाडु	23
तेलंगाना	47
उत्तर प्रदेश	100
उत्तराखंड	16
पश्चिम बंगाल	17
कुल	585

प्राधिकरण ईएनएएम के साथ ईएनडब्लूआर प्रणाली के एकीकरण के लिए कृषि, सहयोग और किसान कल्याण के विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। ताकि ईएनडब्ल्यूआर के किसान/धारक ई–एन.ए.एम मंच पर अपना स्टॉक बेच सकें।

3.10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशु धन विपणन (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017

हरित क्रांति के पश्चात विपणन प्रक्रिया में ईमानदारी लाने के उद्देश्य से सुव्यवस्थित मार्केट यार्डो के माध्यम से संगठित थोक विपणन के लिए राज्यों द्वारा कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम बनाए गए जिन्हे ए.पी.एम.सी. अधिनियमों के नाम से जाना जाता है। फसलों की संख्या तथा मात्रा में वृद्धि हुई लेकिन अवसंरचना के अभाव में बाजार बढ़ती आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका। अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त चैनल तलाशने की जरूरत महसूस होने लगी। इसे ध्यान में रखते हुए ए.पी.एम.सी. अधिनियम में सुधार लाए गए।

विपणन सुधारों मे एक महत्वपूर्ण पहल राज्यों के साथ मॉडल ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2003 को बांटने के साथ शुरू हुई। घरेलू तथा विदेशों में विपणन परिदृश्य में बदलाव आने, उपभोक्ताओं के चयन तथा किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य से किसानों की उम्मीदें बढ़ने के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2016 में नीति आयोग ने राज्यों के साथ हुई समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से एक सम्पूर्ण तथा सुगमता उत्पन्न करने वाला मॉडल विपणन अधिनियम बनाने का निर्णय लिया गया। अतः कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने एक मॉडल अधिनियम अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद पशुधन विपणन (संवर्द्धन तथा सुगमता) अधिनियम, 2017 राज्यो द्वारा अपनाने के लिए परिचालित किया।

एक ही स्थान पर वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा सहित बाजार पंहुच को बढ़ावा देना मॉडल ए.पी. एम.एल. अधिनियम, 2017 की प्रमुख विशिष्टता है, वेअरहाउसो/साइलो/कोल्ड स्टोरों को मार्केट सब यार्ड घोषित करने का भी प्रावधान है।

राज्यों द्वारा इस मॉडल अधिनियम को अपनाने से कृषि भांडागारण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि भांडागारों को न केवल सामान को भंडारित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा बल्कि उनका प्रयोग खरीद केन्द्रों, मंडियों/कलेक्शन केन्द्रों के रूम में किया जा सकेगा। इससे भांडागारों की सेवाओं में एक आयाम और जुड़ जाएगा तथा भांडागार वाणिज्यिक रूप में अधिक सक्षम हो जायेंगे। इस कदम से अतिरिक्त लागत सहित दोहरी हैंडलिंग की कठिनाई से भी बचा जा सकेगा।

मॉडल अधिनियम में कृषि विपणन निदेशक तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक की शक्तियों तथा कार्यों स्पष्ट सीमा–रेखा, भांडागारों को मार्केट सब यार्ड घोषित करना आदि जैसे कई प्रावधान है। यदि राज्य इस मॉडल को अपना लेते हैं तो कृषि विपणन परिदृश्य में परिवर्तन आने की पूरी संभावना है।

डब्लू. डी. आर. ए. के अधिकारियों एवं कर्मचारियो द्वारा स्वच्छता पाखवाड़ा के दौरान खेल गाँव बस स्टैंड और डब्ल्यूडीआरए कार्यालय के पास शाहपुर जट गांव में सफाई अभियान चलाया गया।

अध्याय – IV

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की समीक्षा।

4.1 प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने तथा उद्योग द्वारा आगे बढ़ कर स्वेच्छा से अपने भांडागारो को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कराने के लिए एक उत्साहवर्द्धक वातावरण सृजित करने के लिए डब्लू. डी. आर. ए. द्वारा कई पहल की गई हैं। ये पहल देश में भाण्डागारण–इको प्राणाली की समीक्षा, भांडागारों के पंजीकरण के लिए नियमों, विनियमों का पुनर्लेखन, संबंधित प्रक्रियाओं का डिजीटाइजेशन, अधिक से अधिक पारदर्शिता तथा विश्वास उत्पन्न के लिए पंजीकृत भांडागारों हेतु सशक्त निगरानी प्रणाली से संबंधित है।

4.2 भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम 2017 के लिए अधिसूचना।

प्राधिकरण का अन्य के साथ–साथ प्रमुख कार्य भांडागारों में भंडारित माल के बदले परक्राम्य भांडागार रसीद जारी कर रहे तथा रसीद जारी करने के इच्छुक भांडागारों को पंजीकरण एवं विनियमन करना है। पंजीकरण के लिए कई पूर्व अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक हे जो मुख्यतः इस प्रकार है :–

(क) भांडागरों के निर्माण मानक–भंडारण–योग्यता।
(ख) भांडागारों में पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षा व्यवस्था।
(ग) भांडागारण के क्षेत्र में प्रशिक्षित अनुभव रखने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता।
(घ) भांडागार में तौल, श्रेणीकरण तथा परिरक्षण के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं।
(ड़) स्टॉक का अग्नि, बाढ़, चोरी, सेंधमारी, दुर्विनियोग, दंगे–फसाद, हड़तालों अथवा आतंकवाद के विरूद्ध पर्याप्त बीमा।
(च) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट पर्याप्त नेटवर्थ।
(छ) स्टॉक की जमा, डिलीवरी, स्टॉक के भंडारण एवं परिरक्षण तथा शिकायात निवारण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एस ओ पी) का अनुपालन।
(ज) भांडागारण कारोबार को चलाने के लिए स्थानीय नियमों एवं कानूनों का अनुपालन।
(झ) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आवेदन शुल्क एवं प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करना।

आरम्भ में भांडागारों का पंजीकरण, भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भाडागार पंजीकरण नियंम, 2010 के अधीन किया जा रहा था। तथापि पुराने नियमों के अधीन पंजीकरण प्रक्रिया की बाधाओं को हटाने तथा पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत सरकार नें 23 फरवरी 2017 को भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 अधिसूचित किए ।

नए पंजीकरण नियमों की प्रमुख विशिष्टताएँ इस प्रकार हैं

(क) पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्यायन एजेंसी द्वारा भांडागार की मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं है ।
(ख) भांडागार, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस / भा.खा.नि.के.भ.नि.) द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार निर्मित होने चाहिए।
(ग) भांडागार, विभिन्न वस्तुओं को भंडारित करने के लिए भंडारण योग्य होने चाहिए।

(घ) तौल, रखरखाव, नमूनीकरण, श्रेणीकरण, अग्निशमन तथा हानिकारक कीट/पेस्ट प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित होने चाहिए ।

(ङ) भांडागार की क्षमता के अनुसार किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित शुद्ध नेटवर्थ की अपेक्षा पूरी करने वाले होने चाहिए।

(च) भांडागारों में संग्रहित किए जाने वाले माल के वैज्ञानिक भंडारण के संबंध में विशेषज्ञता तथा जानकारी रखने वाले पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिऐ।

(छ) भांडागारों में पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षा की व्यवस्था लेनी चाहिए ।

4.2.1 पुराने तथा नए पंजीकरण नियमों के बीच मुख्य अंतर।

तालिका: 4:1

क्र. स	मांण्डागारण (विकास एवं विनियमन) मांण्डागार पंजीकरण नियम, 2010	मांण्डागारण (विकास एवं विनियमन) मांण्डागार पंजीकरण नियम, 2017
1	पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्ययन एजेंसी द्वारा प्रत्यायन आवश्यक था.	पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्यायन की आवश्यक नहीं है। डब्लू डी आर ए द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पंजीकरण से पूर्व आवेदक भांडागार का भौतिक निरीक्षण किया जाना होता है।
2	एक आवेदक आवश्यक रूप से केवल एक भांडागार कवर करेगा।	समान आवेदक का आवेदन पत्र एक अथवा एक से अधिक भांडागारों के लिए हो सकता है।
3	पंजीकरण अवधि 3 वर्ष के लिए थी।	पंजीकरण अवधि 5 वर्ष के लिए है।
4	भांडागार की क्षमता पर ध्यान दिए बिना केवल नेटवर्थ का सकारात्मक होना आवश्यक था।	अब भांडागार की क्षमता के अनुसार नेटवर्थ विनिर्दिष्ट की गई है।
5	पंजीकरण शुल्क के बराबर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होती थी।	परक्राम्य भाण्डागार रसीदों के कुल मूल्य के अनुसार अधिक उपयुक्त एवं गत्यात्मक प्रतिभूति जमा का प्रावधान है।
6	मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) तथा 'अपने जमाकर्ता को जाने' (के.वाई.डी) का प्रावधान नहीं था।	नए नियमों में के.वाई.डी तथा एस ओ पी को पूरी तरह परिभाषित किया गया है।
7	रिपोजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के लिए प्रावधान नहीं था।	अब यह प्रावधान है।

4.2.2 आवेदन शुल्क अपेक्षाएँ

नए नियम के अनुसार भाण्डागार के पंजीकरण अथवा नवीकरण के लिए आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) इस प्रकार है :

तालिका: 4.2

पंजीकरण इकाई	शुल्क (अप्रतिदेय)
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन या कम है।	रू, 20,000/-
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक लेकिन 25,000 टन से कम या समान है।	रू, 25,000/-
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन अधिक है।	रू, 30,000/-

4.2.3 पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षा

भांडागारण (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की सातवी अनूसूची के अधीन नियम 18 में डब्लू.डी.आर.ए के साथ भांडागारों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षाओं का प्रावधान है। आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति की सही तस्वीर का पता लगाने के लिए नेटवर्थ को भाण्डागार (भांडागारों) की क्षमता के साथ जोड़ा गया है। तथपि छोटे भांडागार प्रचालकों तथा उनके संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों में यह सूचित किया गया था कि वे निर्धारित नेटवर्थ अपेक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उनके अनुरोधों पर विचार कर पंजीकरण नियमों को संशोधित करते हुए अपेक्षित नेटवर्थ सीमाओं को भांडागाराण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2018 अधिसूचित किए गए हैं। ब्यौरा इस प्रकार है :–

तालिका: 4:3

पहले निर्धारित नेटवर्थ		संशोधित नेटवर्थ अपेक्षा	
भण्डारण क्षमता (मी. टन)	शुद्ध नेटवर्थ (करोड़ रू में)	भण्डारण क्षमता मी.टन में	शुद्ध नेटवर्थ (करोड़ रू में)
1,00 से कम	0.5	1,000 से कम	0.1
1,001 - 5000	2.5	1,001 - 3000	0.25
		3,001 - 5,000	0.50
5,001 - 10000	5	5,001 - 7,000	1.00
		7,001 - 10,000	2
10,001 - 25000	10	10,001 - 15,000	5
		15,001 - 25,000	10
25,001 - 75,000 और ऊपर	20	25,001 - 75,000	20
75,001 - 1,50,000	30	75,001 - 1,50,000	30
1,50,001 - 5,00,000	50	1,50,001 - 5,00,000	50
5,00,001 और ऊपर	100	5,00,001 तथा ऊपर	100

4.3 प्रतिभूति जमा संबंधी अधिसूचना

भांडागार (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण सभी हितधारकों के परामर्श से भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आवेदक अथवा भांडागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा राशि और तरीके को विनिर्दिष्ट करेगा। अतः परक्राम्य भांडागार रसीदों की वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता, बैंको के पास गिरवी रखने एवं अधिकार पत्र के रूप में व्यापार किए जाने सहित आवेदकों/भांडागारपालों की सुविधा के लिए पंजीकृत भांडागारों हेतु प्रतिभूति जमा को 06 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(क) प्रतिभूति जमा का मूल्य नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कॉलम क, ख, तथा ग की कुल राशि होगी (यहाँ भांडागारपाल से सभी पंजीकृत भांडागारों हेतु पिछली तिमाही में जारी कुल परक्राम्य भांडागार रसीदों का उच्चतम मूल्य 'टी' के रूप में संदर्भित किया गया है :

तालिका: 4.4

स्लैब	क	ख	ग
'टी' 25 करोड़ रूपए या इससे कम है	0	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 25 करोड़ रूपए से अधिक और 250 करोड़ रूपए तक है	75 लाख रूपए	'टी' 25 करोड़ रूपए से अधिक और 'टी' मूल्य का 1.5 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 250 करोड़ रूपए से अधिक और 2,500 करोड़ रूपए तक है	4.125 करोड़ रूपए	250 करोड़ रूपए से अधिक और 'टी' मूल्य का 1 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 2,500 करोड़ रूपए से अधिक है	26.625 करोड़ रूपए	2,500 करोड़ रूपए से अधिक और 'टी' मूल्य का 0.5 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार

(ख) जहां आवेदक/भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन या सहकारिता है, तो कुल प्रतिभूति जमा 50,000 रूपए (निर्धारित) प्रति भांडागार होगी।

(ग) प्रतिभूति जमा बैंक की सावधि जमा या डब्लू.डी.आर.ए के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

(घ) संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधान सभा के अंतर्गत बनाए गए निकाय प्रतिभूति जमा के रूप में क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपलब्ध कर सकते है।

(ङ) भांडागारपाल द्वारा कुल एन डब्ल्यू आर के उच्चतम मूल्य के आधार पर प्रत्येक तिमाही के आधार पर प्रतिभूति जमा अद्यतन करनी हेगी।

4.4 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (एफ.सी.एस)/किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ) बड़ी संख्या में थोड़ी क्षमता वाले भांडागार चलाते हैं जो किसान के काफी निकट हैं। किसानों के निकाय होने के नाते ये संस्थाएँ किसानों की भंडारण आवश्यकताएँ पूरी करती हैं तथा उन के द्वारा जमा माल के विरूद्ध वित्त भी मुहैया कराती है। कम क्षमता वाले इन भांडागारो को वित्तीय तथा परिचालन सहायता की आवश्यकता होती है। अतः उन्हें पंजीकरण के लिए काफी वित्तीय तथा अवसंरचनात्मक छूट दी गई हैं।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के भांडागारों को निम्नलिखित वित्तीय छूट उपलब्ध है :-

- अन्य भांडागारों के लिए जाने वाले 20,000/- रू से 30,000/- रू पंजीकरण शुल्क की तुलना में इनके लिए पंजीकरण शुल्क केवल 5000/- रू है।
- भंडारण क्षमता चाहे कुछ भी हो, केवल नेटवर्थ सकारात्मक होनी चाहिए जबकि दूसरों के लिए भांडागार की क्षमता के अनुसार नेटवर्थ विनिर्दिष्ट की गई।
- प्रतिभूति जमा बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा के रूपए में प्रति भांडागार 50,000/- रू है (भांडागार द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार का मूल्य चाहे जो हो)

जबकि अन्य के लिए एक लाख रूपए तथा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के मूल्य का प्रतिशत है।

प्राधिकरण द्वारा भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 20 के अनुसार उपलब्ध शक्तियों के अधीन प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों का अवसंरचना संबंधी निम्नलिखित छूट प्रदान की गई है :-

i. यदि भांडागार ऐसे निकासी वाले स्थान पर स्थित है जहाँ बाढ़/पानी भरने की घटना नहीं हो सकती तथा नमी आने की संभावना नहीं है तो, प्लिंथ की ऊँचाई कम से कम 30 सै. मी. स्वीकार्य है।
ii. पंजीकृत किए जानेवाले प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों के मामले में क्षमता की न्यूनतम सीमा 100 मी.टन होगी।
iii. प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों के मामले में वाहनों की पार्किंग तथा उनके घूमने की स्थान की उपलब्धता पर बल नहीं दिया जाएगा चूँकि कम क्षमता वाली यूनिटें सदस्य किसानों के लिए चलाई जाती हैं।
iv. भांडागार में चट्टा-योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि गलियारों के लिए सही स्थान छोड़ा गया हो।
v. भांडागार में सामान के भंडारण तथा परिरक्षण के लिए सोसाइटी के सचिव के अलावा एक और स्टाफ सदस्य की (पूरे समय के लिए अथवा पार्ट टाइम आधार पर) लगाया गया होना चाहिए।
vi. पक्की चार दिवारी/कंटीले तारों की बाड़ पर बल नहीं दिया जाएगा। ताथपि भांडागार में स्टॉक की सुरक्षा/संरक्षा के लिए ताले लगाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
vii. 500 मी. तक की क्षमता वाले प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारो में कम से कम एक अग्नि शमन उपकरण आवश्यक प्रकार का तथा छह अग्नि शमन बाल्टियॉ होनी चाहिए। जिन भांडागारों की क्षमता 500 मी. टन से अधिक लेकिन 1500 मी. टन क्षमता तक है वहॉ तीन अग्नि शमन उपकरण तथा पन्द्रह अग्निशमन बाल्टियॉ होनी चाहिए।

4.5 ई–परक्राम्य रसीद (ई–एन डब्यू आर) के संबंध में अधिसूचना ।

कागज के रूप में जारी भांडागार रसीदों की बाधाओं को हटाने तथा परक्राम्य वेअरहाउस रसीदों की विश्वसनीयता/सत्यानिष्ठा में वृद्धि करने एवं इसके सुगम हस्तांतरण, गिरवी आदि के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनी रूपान्तरण योजना के अधीन रिपोजिटरी के माध्यम से ई–एनडब्ल्यूआर सिस्टम का सृजन एवं प्रबंधन करने का निर्णय लिया गया। ई–एनइब्लूआर इको प्रणाली के सृजन एवं प्रबंधन का दायित्व रिपोजिटरिज को दिया गया है।

इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेअरहाउस रसीदों के निम्नलिखित लाभ हैं।

(क) बैंको द्वारा गिरवी वित्तपोषण में सुगमता।

(ख) अच्छे मूल्य के लिए किसानों/जमाकर्ताओं की पूरे देश में खरीदारी तक पहुँच होने से वे अपने उत्पादों का अच्छा मूल्य प्राप्त करने की स्थिाति में होंगे ।

(ग) माल के वास्तविक संचलन के बिना अधिक से अधिक हस्तांतरण संभव है वैकल्पिक विपणन के चैनल उपलब्ध है तथा उपभोक्ताओं के लिए बिचौलियों की लागत में कमी आएगी।

(घ) उपभोक्ता, उद्योग, प्रोसेसर, थोक, खुदरा व्यापारी आदि) अपने पसंद के स्थानों पर प्रतियोगी मूल्यों पर अच्छे उत्पादों की खरीद कर सकते है।

(ड़) कृषि उत्पादों के पारदर्शी व्यापार के लिए कुशल क्लियरिंग सैटलमेंट एवं डिलिवरी प्रणाली।

(च) वस्तु के एक हिस्से को हस्तांतरित करने के लिऐ परक्रम्य भांडागार रसीद को हिस्सों में बांटा जा सकता है।

(छ) ई–रसीदें रिपोजिटरी द्वारा जारी की जाती है तथा कमोडिटी एक्स्चेंज में भी इनका व्यापार हो सकता है।

प्राधिकरण ने भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से भांडागार (विकास और विनियमन) प्राधिकरण इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद विनियम 29 जून, 2017 को अधिसूचित किए थें। प्राधिकरण ने इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के सृजन तथा प्रबंधन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी किए है।

(क) कोमोडिटीज रिपोजिटरी लिमिटेड़ (सी.सी.आर.एल) की मूल कम्पनी सी.ड़ी.एस.एल है। यह एक डिपोजिटरी फैसेलिटी है। नई कम्पनी (सी.सी.आर.एल) का गठन पूरा किया जा चुका है तथा एम.सी.ए द्वारा अनुमोदित है।

(ख) नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड़ (एन.ई.आर.एल) इसकी मूल कम्पनी एन.सी.डी.एक्स. है जो पेशेवर आनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज है । एन सी डी एक्स एक सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनी है तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन इसका गठन 23 अप्रैल, 2003 किया गया था। इन.ई.आर. एल. रिपोजिटरी का गठन 10 फरवरी 2017 को एम.सी.ए द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4.6 कागज आधारित भांडागार रसीद/ स्टॉक रसीद की तुलना में ई–परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ

ई–एन.डब्लू.आर एक अधिक सुरक्षित दस्तावेज है। इससे कागज आधारित भांडागार रसीदों/स्टॉक रसीदों की तुलना में संबंधित भांडागार की विश्वसनीयता बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रमुख लाभ तालिका 4.5 में दिए गए है।

4.6.1 कागज आधारित भांडागार रसीद/स्टॉक रसीद की तुलना में ई–एन.डब्लू.आर अपनाने के लाभ

तालिका 4.5

कागज आधारित/स्टॉक रसीद	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद
भावी खरीदार के लिए केवल एक ही तरीके से प्रयोग की जा सकती है	खरीदारों की बड़ी संख्या के साथ यह किसान/जमाकर्ताओं को पूरे देश में बेहतर मोल–तोल के क्षेत्र पहुँच के लिए सहायता करती है
उसे विखंडित नहीं किया जा सकता	ई–एन डब्ल्यू आर को वस्तु के एक भाग के हस्तांतरण के लिए विखंडित किया जा सकता है
खोने, कटने–फटने, छेड़छाड़ तथा हेर–फेर करने तथा झूठा हिसाब करने की संभावना रहती है	इस प्रकार की किसी संभावना की गुंजाइश नहीं है
पारदर्शी तरीके कुशल क्लिअरिंग तथा ट्रेडिग में निहित कठिनाईयाँ आती हैं	कृषि उपज की ट्रेडिग में पारदर्शिता के साथ कुशल क्लिअरिंग, सैटलमेंट तथा डिलिवरी प्रणाली में सक्षम है
भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण सूचना अधिक हितधारको के साथा बाँटना मुश्किल	भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण सूचना अधिक हितधारकों जैसे बैंकर्स, कोमोडिटी एक्सचेंज सरकार आदि के साथा बाँटना आसान
रसीद में सूचना की एकरूपता नही	अधिनियम तथा विनियमन के अधीन मानक प्रारूप
विनियमित नहीं	संविधिक निकाय द्वारा विनियमित
परखना अनिवार्य नहीं	ई परक्राम्य भांडागार रसीद में गुणवत्ता की सूचना देना अनिवार्य
सामान प्राप्त किए बिना परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की जोखिम	इस प्रकार की संभवना नहीं
प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना डुप्लीकेट एन डब्लू आर जारी करने की जोखिम	संभव नहीं
धोखाधड़ी से सामान का मूल्य अधिक बताना	कृषि बाजार के मूल्यों की पुनः प्राप्ति संभव
कोई निगरानी तथा पर्यवेक्षण नहीं	डब्लू डी आर ए द्वारा नियमित निगरानी
वेअरहाउस रसीदों की कानूनी परक्राम्यता की बिना व्यापार के लिए हस्तांतरण/पृष्ठांकन के मामले में विधिमान्य हस्तांतरण की समस्या	इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया होने आदि एक से अधिक संख्या में हस्तांतरण संभव है तथा भाण्डागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2007 का विधिमान्य बैकअप
गैर विनियमित भाण्डागारों के मामले में अधिक मुकदमेबाजी	मुकदमेबाजी काफी सीमा तक घट जाएगी

4.7 भाण्डागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदनों का क्रियान्वयन

भाण्डागारण (विकास एवं विनियन), भण्डागार पंजीकरण नियम, 2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप निर्धारित किया गया है। आरम्भ में आवेदन भौतिक रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिस पर कार्रवाई करने में समय लगता था। अतः पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पंजीकरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने एवं ट्रैकिंग के लिए प्राधिकरण ने भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली आवेदको की विभिन्न श्रेणियों के लिए है। नई प्रणाली में उनकी संबंधित गतिविधियों जैसे आवेदन शुल्क का भुगतान, आवेदन की प्रोसेसिंग, भौतिक निरीक्षण का आबंटन तथा निरीक्षण एजेंसी की भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था है। ऑनलाइन प्रतिभूति जमा तथा ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो गया है।

यह निर्णय लिया गया था कि 1 नवम्बर, 2017 से भांडागारों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन प्राधिकरण को उसके नए पोंटल **https:/wdra.gov.in** पर लॉग इन कर आनलाइन प्रस्तुत किए जायेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विस्तृत अनुदेश प्राधिकरण के होमपेज पर उपलब्ध हैं। नई प्रणाली के अनुसार सभी आवेदको को भांडागारों के पंजीकरण के लिए सर्वप्रथम प्राधिकरण पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। लॉग इन के बाद वहाँ सृजित क्रेडेनशियल प्राप्त होने के बाद आगे बढ़ने के लिए पोर्टल के माध्यम से साइन इन करना होता है। प्राधिकण द्वारा पैनल में रखी गई निरीक्षण ऐजेंसियों कों भी प्राधिकरण के नए पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑन बोर्ड होने के लिए क्रेडेनशियल का प्रयोग करते हुए पोर्टल पर साइन इन करने के बाद निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आबंटन प्राप्त करना होगा। निरीक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था भी ऑनलाइन है।

4.7.1 आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे :–

i) व्यक्ति / प्राधिकरण प्रतिनिधि (गैर व्यक्ति संस्था के मामले मे) का फोटोग्राफ
ii) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पाँचवी अनुसूची में यथा अपेक्षित आवेदक की पहचान का प्रमाण पत्र
iii) मानक प्रचालन प्रक्रिया
iv) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 18 (5) के अधीन नेटवर्थ के समर्थन में दस्तावेज
v) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के अधीन तथा निर्धारित बीमा पॉलिसियों की प्रति
vi) भांडागार का ले–आउट प्लान
vii) भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) की दशा में बेसिक डाटा शीट
viii) तकनीकी मानक जिसके अधीन भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) निर्मित किया गया, के बारे में प्रमाण
ix) माल को परखने के लिए उपकरणों की सूची
x) माल को तोलने के लिए उपकरणें की सूची
xi) अग्नि सुरक्षा के लिए उपकरणों का विवरण जैसे अग्निशमन उपकरण / बाल्टियों आदि
xii) भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पहली / छठी अनुसूची के अनुसार उस भूमि के संबंध में जिस पर भांडागार स्थित है, के अधिकारों के अभिलेख अथवा रजिस्ट्रीकृत हक विलेख,

4.8 भांडागारो का पंजीकरण

वर्ष 2017–18 के दौरान भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा विभिन्न राज्यों मे 261 भांडागार पंजीकृत किए गए। अपनी स्थापना में 31.03.2018 तक प्राधिकरण ने 1697 भांडागार पंजीकृत कर चुका है जिनकी कुल भांडारण क्षमता 79.08 लाख मी.टन है। इस में से 31.03.2018 को स्थिति के अनुसार कुल 54.34 लाख मी.टन क्षमता के 951 भांडागार सक्रिय रहे। भांडागारों के पंजीकरण राज्यवार तथा वर्षवार संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्रम. सं	राज्य	पंजीकृत भांडागारों की संख्या							
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
1	आंध्रप्रदेश	45	16	15	19	09	00	03	106
2	असम	00	03	01	00	00	00	01	05
3	बिहार	00	00	02	00	02	01	02	07
4	छत्तीसगढ़	00	01	00	00	00	00	00	01
5	दिल्ली	00	00	00	00	00	00	00	00
6	गुजरात	03	05	02	10	145	22	85	272
7	हरियाणा	15	00	00	00	08	00	02	25
8	हिमाचल प्रदेश	01	00	00	00	00	00	00	01
9	झारखंड	00	00	01	00	00	00	00	01
10	कर्नाटक	00	14	01	03	19	13	09	59
11	केरल	11	01	08	01	00	01	03	25
12	मध्य प्रदेश	17	20	10	53	153	102	41	396
13	महाराष्ट्र	22	14	00	08	56	40	35	175
14	उड़ीसा	01	00	00	00	00	00	00	01
15	पंजाब	04	09	00	01	00	00	00	14
16	पदुचेरी	01	00	00	00	00	00	00	01
17	राजस्थान	48	04	14	10	116	28	67	287
18	तमिलनाडु	52	00	14	128	71	05	03	273
19	तेलंगाना	00	00	00	00	02	00	07	10
20	उत्तराखंड	00	00	00	00	00	00	00	00
21	उत्तर प्रदेश	20	05	00	01	06	01	02	35
22	पश्चिम बंगाल	00	00	00	00	01	01	01	03
	कुल योग	**240**	**92**	**68**	**234**	**588**	**214**	**261**	**1697**

आरेखः 4.1

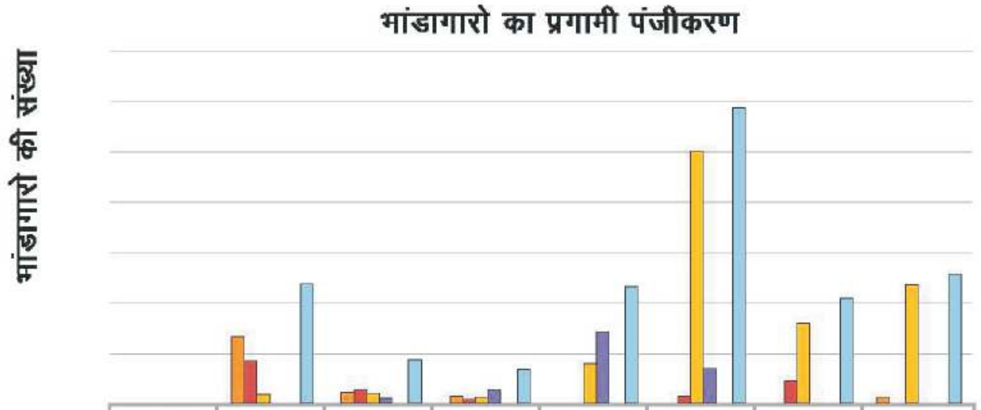

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
के. म. नि.	0	135	25	15	3	2	5	14
रा.मं.निगम.	0	87	28	9	1	16	44	0
निजि	0	18	26	14	81	500	163	241
प.ए.सी./फ.पी.ओ.	0	0	13	30	145	70	2	1
कोल्ड स्टोरेज	0	0	0	0	4	4	0	5
कुल	0	240	92	68	234	588	214	261

4.9 भांडागारों के ऑनलाइन पंजीकरण में प्रगति

भांडागारों के 1 नवम्बर, 2017 से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद पंजीकरण के लिए कागज–आधारित आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उठे मुद्दों का निराकरण किए जाने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी आई है। ऑनलाइन पंजीकरण की माहवार प्रगति नीचे दी गई है :–

आरेख : 4.2

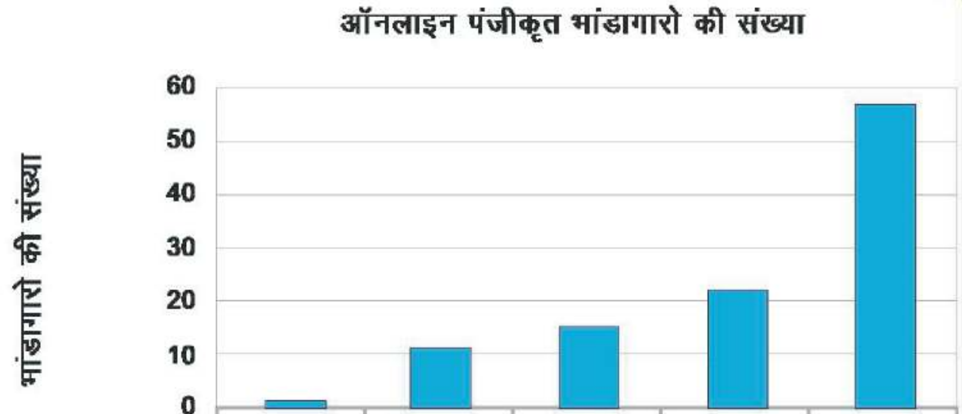

	नवम्बर – 2017	दिसम्बर – 2017	जनवरी – 2018	फरवरी – 2018	मार्च – 2018
ऑनलाइन पंजीकृत भांडागारो की संख्या	1	11	15	22	57

4.10 भांडागारो के पंजीकरण का नवीकरण।

वर्ष 2017–18 के दौरान 95 भांडागारो के के पंजीकरण का नवीकरण किया गया। राज्यवार तथा एजंसीवार विवरण इस प्रकार है :–

तालिकाः 4.7

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एजेंसी	पंजीकरण के नवीकरण की संख्या
1.	तमिलनाडु	केन्द्रीय भंडारण निगम	17
2.	कर्नाटक		06
3.	केरल		04
4.	तमिलनाडु	किसान उत्पादक संगठन	01
5.	राजस्थान	निजी क्षेत्र	25
6.	गुजरात		07
7.	महाराष्ट्र		11
8.	उत्तर प्रदेश		02
9.	मध्य प्रदेश		21
10.	आंध्र प्रदेश		01
		कुल	95

4.11 भांडागारों का ऑनलाइन नवीकरण

भांडागारों के पंजीकरण के नवीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन तथा भांडागारपालों एवं भांडागारों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के अद्यतन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित कर 19 मार्च, 2018 से परिचालित की गई है। इस तारीख से भांडागारों के पंजीकरण के नवीकरण, पंजीकरण पत्र में संशोधन तथा भांडागारपालों एवं भांडागार से संबंधित विभिन्न सूचनाओं से संबंधित कोई भी कागज अधारित आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार के सभी आवेदन केवल ऑनलाइन किए जा रहे हैं।

4.12 भांडागारों द्वारा सेवाओं की क्वालिटी की मॉनिटरिंग एवं सर्वेक्षण

प्राधिकरण ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए पंजीकृत भांडागारों के लिए एक निरीक्षण प्रणाली की स्थापना की है :

i. भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के अधीन और आधारभूत संरचना, प्रचालन प्रक्रियाओं और अन्य प्रावधानों, नियमों और विनियमों और भांडागारों के पंजीकरण के समय प्रत्यायन एजेंसी के द्वारा जाँच के रूप में जो बिन्दु निर्धारित किए हैं, पंजीकृत भांडागारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जारी रखना।

ii. परक्राम्य भांडागार रसीदों की अखंडता की रक्षा करना। निरीक्षण एजेंसी के निरीक्षण अधिकारियों के अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण के अधिकारी भी भांडागारों के निरीक्षण करते है।

इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण ने निरीक्षण के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश करने सहित निरीक्षण एजेंसियों के चयन, पैनल बनाने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए है :

(क) निरीक्षित किए गए भांडागार के लिए निरीक्षण एजेंसी स्वतंत्र होगी।

(ख) निरीक्षण एजेंसी के कर्मचारियों को यह सुनिश्वित करना होगा कि जिस भांडागार का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाना है, उससे किसी भी रोजगार और व्यावसायिक हित का पिछले दो साल से कोई संबंध नहीं रहा है।

(ग) निरीक्षण एजेंसी और उसके कर्मचारी किसी भी ऐसी गतिविधि में संलगन नहीं होंगे जिससे वे स्वतन्त्रता के साथ निर्णय और उनके निरीक्षण की गतिविधियों के संबंध में ईमानदारी में विरोधी हो सकते हैं। विशेष रूप से वे सीधे प्रतिस्पर्धी भांडागार के प्रबंधन में शामिल नहीं होंगे।

(घ) वे प्रक्रियाएं, जिसके अधीन निकाय काम करता है, वे गैर भेदभाव तरीके से प्रशासित होनी चाहिए।

4.13 निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना।

इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए छानबीन के पश्चात् पात्र संगठनों को शॉर्टलिस्ट कर छह निरीक्षण एजेंसियों को प्राधिकरण के निरीक्षण एजेंसी के पैनल में डाला गया । एजेंसियों को पैनल परिभाषित दिशा–निर्देशों के अनुसार भौतिक निरीक्षण (पंजीकरण से पूर्व) सामान्य निरीक्षण तथा अन्य निरीक्षण का कार्य सौपा गया। पैनल में रखी गई निरीक्षण एजंसियों एजेंसियों के पास पर्याप्त संख्या में निरीक्षण अधिकारी हैं जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। निरीक्षण एजेंसी को निरीक्षण तथा निरीक्षण अधिकारी आबंटित करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। निरीक्षण रिर्पोट भी ऑनलाइन फाइल की जा सकती है तथा निरीक्षण स्थल से ही प्रस्तुत की जा सकती है। इससे ऐसे भांडागार, जिन्होंने निरीक्षण के लिए पंजीकरण हेतु डब्लू.डी.आर.ए मे आवेदन किया है, के निरीक्षण में लगने वाला समय काफी घट गया है। पैनल में रखी गई एजेंसियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

4.14 पैनल में रखी गई एजेंसियों की सूची।

1. **ट्रु क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड** 210, साँई राम प्लाजा 63, मंगल नगर, भंवरकुआँ ए.बी. रोड, इन्दैर–452001।
2. **एस एस आर ए एंड कम्पनी** एम–13 एल जी एफ, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–2 नई दिल्ली–110049.
3. **वन सर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट** एच.08, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, मानसरोवर, जयपुर–302020, राजस्थान-
4. **नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड** 24, राजेन्द्र प्लेस, नाबार्ड टावर, उई दिल्ली–110025.
5. **टी क्यू सर्विसेस लिमिटेड** एस बी यू क्वालिटी सर्विसिज स्पलेंडिड टावर, छठी मंजिल एच नं 1–8–364, 437, 438 एवं 455, बेगमपेट, हैदराबाद–500016.
6. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद**, उत्पादकता भवन, 5–6 इंडस्ट्रियल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के निरीक्षण आयोजित करने के लिए निरीक्षण निम्न प्रकार से शुल्क का भुगतान करता है:–

निरीक्षण का प्रकार	विभिन्न क्षमता के भांडागारों के लिए प्रलि निरीक्षण शुल्क (सभी शामिल)		
	10,000 टन तक	10,000 से 25,000 टन तक	25,000 टन से अधिक
	(रू. में)	(रू. में)	(रू. में)
भौतिक निरीक्षण	10,000	12,500	15,000
सामान्य निरीक्षण	12,000	17,000	25,000

टिप्पणी

1. प्राधिकरण उत्तरी पूर्वी राज्यों में भांडागारों के लिए 2500 / – रू अतिरिक्त उपलब्ध कराएगा.
2. यदि सामान्य निरीक्षण इनमें किसी एक अर्थात् (क) भौतिक निरीक्षण (ख) एस ओ पी निरीक्षण (ग) स्टॉक निरीक्षण के संबध में होगा तो, उस स्थिति में भुगतान के लिए निरीक्षण दो भौतिक निरीक्षण के लिए उपरोक्त दी गई तालिका के अनुसार लागू होंगी।

4.15 डब्लू. डी. आर. ए. के साथ रिपोजिटरीज का पंजीकरण ।

डब्लू डी आर ए ने इलक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (ई–एन डब्लू आर) के सृजन तथा प्रबंधन के लिए दो रिपोजिटरी अर्थात मैसर्स सेण्ट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड द्वारा प्रायोजित (सी.सी.आर.एल) तथा नेशनल कोमोडिटी एण्ड ड्राइवेटिज एक्सचेंज द्वारा प्रायोजित नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड को लगाया है। इन रिपोजिटरी द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाओं का विवरण इस प्रकार है :–

- खाताधारक के वैध प्राधिकरण के आधार पर ई–एन डब्लू आर/ई–एन डब्लू आर के सुरक्षित एवं सही सृजन, रख–रखाव तथा रद्दकरण करना।
- ई–एन डब्लू आर की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा इससे संबंधित सभी सूचनाएँ सुनिश्चित करना।
- ई–एन डब्लू आर के हस्तांतरण, गिरवी अथवा गिरवी हटाना ई–नीलामी करना।
- ई–एन डब्लू आर अथवा भांडागार के माध्यम से ई एन डब्लू आर में दिए अनुसार भाग में अथवा पूरी डिलीवरी देना

रिपोजिटरी प्रणाली 26 सितम्बर, 2017 से लागू हो गई थी। 86139 पेपर आधारित एन डब्लू आर के अलावा रिपोजिटरी द्वारा 31 मार्च, 2018 तक 114 ई–एन डब्लू आर जारी की गई है।

4.16 भांडागारण क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

भांडागारण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए डब्लू.डी.आर.ए द्वारा पंजीकृत भांडागारों के भंडागारपालों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण भागीदार संस्थानों द्वारा के माध्यम से नियमित रूप से निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 तथा परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में लाभों की जानकारी देने हेतु किसानों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। वर्ष 2017–18 में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:–

4.16.1 भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम।

वर्ष 2017–18 में प्राधिकारण ने 10 राज्यों में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणली के लाभों के संबंध में जानकारी देने के लिए किसानों, व्यापारियों, मिल मालिकों के लिए 97 एकदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए। ये जार्गरूकता कार्यक्रम विभिन्न विशेषज्ञ संस्थओं जैसे केन्द्रीय भंडारण निगम, सी.सी.एस.एन.आइ.एम. जयपुर, आइ.सी.एम, भोपाल, यू.आर.आइ.सी.एम, गाँधीनगर आई.सी.एम, हैदराबाद, ए.टी.ए.आर.आई हैदराबाद तथा जबलपुर, एन.सी.यू.आई दिल्ली तथा राज्य कृषि विश्वविधाल्य जोधपुर के माध्यम से आयेजित किए गए :–

भांडागारण अधिनियम, 2007 तथा एनडब्लूआर प्रणाली के लाभों के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए कार्यक्रम की संख्या।

आरेख 4.3

भांडागारण अधिनियम, 2007 तथा एन डब्लू आर प्रणाली के लाभों के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

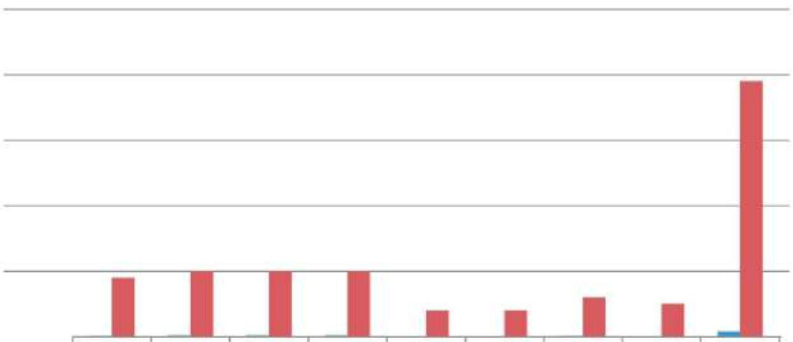

	यू आर आई सी एम गांधीनगर	सी सी एस एन आई ए एम जयपुर	आई सी एम हैदराबाद	आई सी एम भोपाल	ए.टी.ए.आर.आई. हैदराबाद	ए.टी.ए.आर.आई जबलपुर	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	एन. सी. यू. आई. नई दिल्ली	सी.डब्लू. सी.नई दिल्ली
आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	8	10	10	10	4	4	6	5	40
भाग लेने वाले किसानों की संख्या	450	500	500	500	200	200	300	250	1950

4.16.2 डब्लू.डी.आर.ए की स्थापना से अब तक आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम इस गतिविधि के अन्तर्गत प्राधिकरण की स्थापना से प्रगामी उपलब्धियां इस प्रकार है ।

आरेख 4.4

डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

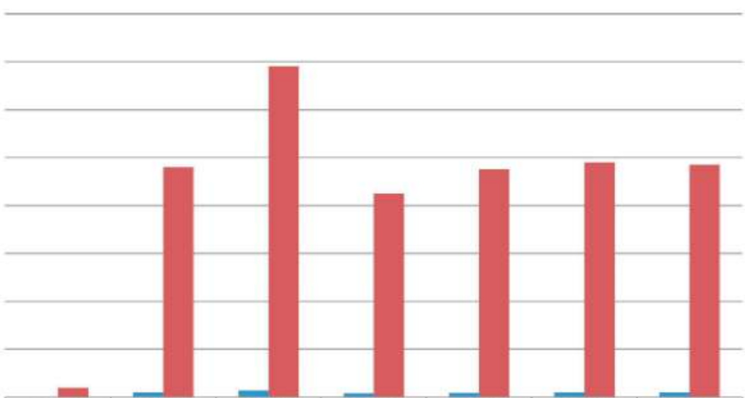

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
तजायिआ एकिएग कार्यक्रमीक संख्या	4	96	138	85	95	98	97
भाग लेने वाले किसानीक संख्या	200	4800	6900	4250	4750	4900	4850

सैण्ट्रल वेअरहाउस, चित्याल, आन्ध्र प्रदेश में 24.03.2018 को किसान जागरूकता कार्यक्रम–किसानों का खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण के लाभों के बारे में बताया जा रहा है।

टिप्पणी

1. प्राधिकरण उत्तरी पूर्वी राज्यों में भांडागारों के लिए 2500/– रू अतिरिक्त उपलब्ध कराएगा।
2. यदि सामान्य निरीक्षण इनमें किसी एक अर्थात् (क) भौतिक निरीक्षण (ख) एस ओ पी निरीक्षण (ग) स्टॉक निरीक्षण के संबध में होगा तो, उस स्थिति में भुगतान के लिए निरीक्षण दो भौतिक निरीक्षण के लिए उपरोक्त दी गई तालिका के अनुसार लागू होंगी।

4.16.3 भांडागार प्रबन्धकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भांडागार प्रबन्धकों का भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताओं, भांडागारों की मान्यता के उद्देश्य एवं प्रक्रिया, भांडागारों का पंजीकरण, कृषि वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, हानिकारक कीट एवं पीड़क जन्तु नियंत्रण, भांडागार प्रबंधन, परक्राम्य भांडागार रसीदों का वित्तपोषण एवं भांडागारों एवं माल का बीमा आदि के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

प्रशिक्षण के भागीदारों के लिए भांडागारों में भंडारित कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण, नमूनाकरण एवं परिरक्षण की तकनीकों को वास्तविक रूप में जानने हेतु निकट के पंजीकृत भांडागार का दौरा भी आयोजित किया गया। सफल भागीदारों को प्रशिक्षण संगठनों द्वारा प्रमाणपत्र दिये गए। वर्ष 2017–18 के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम (आई.जी.एम.आर.आई, हापुड़) तथा सी.सी.एस.एन.आई.ए.एम, जयपुर के माध्यम से पाँच (5) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें पंजीकृत भांडागारों के 127 भांडागार प्रबन्धकों को प्रशिक्षित किया गया। विवरण इस प्रकार है :

तालिका: 4.9

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए भांडागार प्रबन्धकों की संख्या
1	सीसीएसएनआईएएम, जयपुर	02	55
2	के.भ.नि., आईजीएमआरआई, हापुड़	03	72
	कुल	**05**	**127**

यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि प्राधिकरण प्रति प्रशिक्षणर्थी प्रति कार्यक्रम भागीदार प्रशिक्षण संस्थाओं का 12,500 रूपये+जी एस टी का भुगतान करता है।

4.16.4 डब्लू.डी.आर.ए की स्थापना से अब तक आयोजित भांडागार प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राधिकरण की स्थापना से इस गतिविधि के अधीन प्रगामी उपलब्धि का विवरण इस प्रकार है :

क्रम संख्या	वर्ष	संस्था का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रम संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	2011-12	एनआईएएम, जयपुर	02	65
2.	2012-13	डॉ एमसीआर इंस्टीट्यूट हैदराबाद एवं एनआईएएम, जयपुर	04	131
3.	2013-14	डॉ एमसीआर इंस्टीट्यूट हैदराबाद, एनआईएएम, जयपुर तथा के.भ.नि. हापुड	11	414
4.	2014-15	आईजीएमआरआई हापुड	10	65
5.	2015-16	सीसीएसएनआईएएम, जयपुर (03) एवं के.भ.नि., आईजीएमआरआई हापुड (01)	04	131

6.	2016-17	सी डब्लू सी, आई एम आर आई हापुड (04) तथा सी सी एस एन आई ए.एम जयपुर (04)	08	414
7.	2017-18	सी डब्लू सी, आइ जी एम आई हापुड़ (03) तथा सी.सी.एस.एन.आई.ए.एम जयपुर (02)	05	127
		कुल	**44**	**1398**

4.17 पैनल में रखी गई निरीक्षण एजेंसियों से जुड़े निरीक्षण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.17.1 प्राधिकरण ने 16 मार्च, 2018 को हैदराबाद में निरीक्षण अधिकारियों के लिए पंजीकरण की नई ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पैनल में रखी गई निरीक्षण एजेंसियों के 15 निरीक्षण अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम नें भाग लिया

निरीक्षण अधिकारियों के लिए 16.03.2018 को हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम

4.17.2 प्राधिकरण ने 22 मार्च, 2018 को केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली में भी निरीक्षण एजेंसियों के निरीक्षण अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 4 निरिक्षण एजेंसियों के 31 निरीक्षण अधिकारियों ने भाग लिया।

4.18 नई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया तथा भांडागारों के विनियमन पर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन

4.18.1 प्राधिकरण ने केन्द्रीय भंडारण निगम तथा राज्य भंडारण निगमों के लिए 05.01.2018 को अपने नई दिल्ली स्थित कार्यालय में भांडागारो का ऑनलाइन पंजीकरण तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्याशाला में केन्द्रीय भंडारण निगम के 3 अधिकारियों तथा राज्य भंडारण निगमों के 16 अधिकारियों ने भाग लिया।

4.18.2 प्राधिकरण ने अपनी रिपोजिटरी सी सी आर एल के सहयोग से विभिन्न हित्तधारको को ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा ई–एन डब्लू आर इको प्रणाली के बारे में अवगत कराने के लिए 24 फरवरी, 2018 को इंदौर (म.प्र) में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न हितधारको से लगभग 50 भागीदार इसमें सम्मिलित हुए।

विभिन्न हिधारकों के लिए इंदौर (म.प्र) में सी सी आर एल के सहयोग से डब्लू डी आर ए द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम।

अध्याय–V

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय कार्य–निष्पादन सहित संगठनात्मक मामले

5.1 भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण का स्वीकृत स्टाफ तथा भरे गए पद निम्नानुसार है:

तालिका: 5.1

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार भरे हुए पदों की संख्या
1	संयुक्त सचिव/अपर सचिव	1	1
2	निदेशक	2	1
3	अवर सचिव	2	2
4	उप निदेशक	2	-
5	अनुभाग अधिकारी	2	1
6	सहायक/लेखाकार	2	-
7	प्रधान निजी सचिव	1	1
8	निजी सचिव	2	1
9	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	1	1
10	ड्राइवर	1	1
	कुल	**16**	**9**

5.2 प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य :

निदेशक (प्रशासन और वित्त), भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। वर्ष 2017–18 में प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कोई मामला विचाराधीन अथवा लंबित नहीं था।

5.3 भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यन्वयन।

श्री गणेश ए. बाकड़े, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) सी.पी.आई.ओ, श्री राकेश कटारिया, अवर सचिव (प्रशासन एवं वित्त) ए.पी.आइ.ओ और श्रीमती वीना कुमारी मीणा, संयुक्त सचिव, डब्लूडीआरए (05.12. 2016 से 05.05.2017 तक) डॉ बी.बी.पटनायक, सदस्य, डब्लू.डी.आर.ए (17.05.2017 से 13.03.2018 तक), तथा श्री टी.के.मनोज कुमार, अपर सचिव, डब्लू.डी.आर.ए (14.03.2018 से आज की तारीख तक), 2017–18 में अपीली प्राधिकारी थे। यह सूचना आम जनता की जानकारी के लिए भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर दर्शायी गई। वर्ष 2017–18 में सूचना के अधिकार के अधिनियम के अधीन प्राधिकरण में कुल 5 पत्र प्राप्त हुए और उनके उत्तर दिये गए। सूचना समय पर भेज दी गयी थी।

5.4 कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई–कार्यालय के प्रयोग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भांडागारों के पंजीकरण के लिए प्राधिकरण के नए ई–पोर्टल के प्रयोग के लिए भी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

5.5 वर्ष 2017–18 के लिए भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित लेखेः

2017–18 के लिए भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण का स्वीकृत बजट 1333.51 लाख रूपए था जिसमें 2016–17 से आगे लाए गए 752.55 लाख रूपये शामिल है। वास्तविक खर्च 1072.36 लाख रूपये था। 26,360 रूपये की विविध प्राप्तियां + अनुदान पर ब्याज के रूप 23,67,305/–रूपये की प्राप्त राशि को शामिल करने के बाद 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार उपयोग न की गई धनराशि 2,85,08,134 रूपये थी जो अगले वित्तीय वर्ष 2018–19 में अग्रेनीत की गई है। वर्ष 2017–18 के लिए लेखा परीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय व्यय) के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षा की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के वर्षिक लेखें क्रमशः अनुलग्नक– I एवं II पर संलग्न है।

डब्लू.डी.आर.ए के सदस्यो द्वारा कपास भांडागार का निरीक्षण।

शिमला में हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादकों के साथ डब्लू.डी.आर.ए के सदस्यो द्वारा विचारों का आदान–प्रदान।

केन्द्रीय भंडारण निगम के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भांडागार प्रबन्धकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

केन्द्रीय भंडारण निगम के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चेन्नई में 13 से 17 मार्च, 2018 तक भांडागार प्रबन्धकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण।

सैंट्रल वेअरआउस वडलामुडी (आंध्र प्रदेश) डब्लू.डी.आर.ए के सदस्य श्री पी.श्रीनिवास द्वारा ई–एन डब्लू आर का शुभारम्भ।

सैंट्रल वेअरहाउस त्रिचि (तमिलनाडु) में डॉ बी.बी.पटनायक, अध्यक्ष (प्रभारी) द्वारा ई–एन डब्लू आर का शुभारम्भ।

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS
2017-18

NCUI BUILDING
4TH Floor, 3 Siri Institutional Area
August Kranti Marg, HauzKhas
New Delhi

FORM A

(See Rule 3)

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

BALANCE SHEET AS ON 31st March 2018

(Amount-Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND	1	21,37,85,613	26,40,07,044
RESERVE AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	-	-
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	5,98,18,183	4,15,13,077
TOTAL		**27,36,03,796**	**30,55,20,121**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	19,50,67,303	19,60,34,134
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENTS FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS-OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	7,85,36,493	10,94,85,987
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		**27,36,03,796**	**30,55,20,121**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Compiled from Books of Accounts By
For Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

AMIT RAY & CO. New Delhi Chartered Accountants

Amitava Ray
Partner
Membership No. 006947
Firm Registration no. 000483C

Place-New Delhi
Date-13.06.2017

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distribution
हौज खास नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

FORM 'B'

(See rule 3)

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales/Services	12	-	-
Grants/Subsidies	13	5,80,95,000	15,00,00,000
Fees/Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invesment from Earmarked/Endowment Fund transferred to Funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	23,67,305	40,93,707
Other Income	18	2,13,330	38,02,631
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	-	-
TOTAL(A)		**6,06,75,635**	**15,78,96,338**
EXPENDITURE			
Establishment expenses	20	2,78,91,474	2,65,40,572
Other Administrative Expenses etc.	21	6,89,66,854	5,57,04,076
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	-	-
Interest	23	-	-
Depreciation (Net total at the year-end - corresponding to Scheduled 8)	8	1,40,38,738	39,44,202
TOTAL(B)		**11,08,97,066**	**8,61,88,850**
Balance being excess/(Deficit) of Income over Expenditure (A-B)		**-5,02,21,431**	**7,17,07,488**
Transfer to Special Reserve (Specify each)		-	-
Transfer to /from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**-5,02,21,431**	**7,17,07,488**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Compiled from Books of Accounts By
For Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

AMIT RAY & CO. New Delhi Chartered Accountants

Amitava Ray
Partner
Membership No. 006947
Firm Registration no. 000483C

Place-New Delhi
Date-13.06.2018

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distribution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman i/c
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 1- CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year		Previous Year	
Balance as on the begining of the year	26,40,07,044		19,22,99,556	
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund	-		-	
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	-5,02,21,431	21,37,85,613	7,17,07,488	26,40,07,044
BALANCE AS AT THE YEAR - END		**21,37,85,613**		**26,40,07,044**

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 2 - RESERVE AND SURPLUS:	Current Year		Previous Year	
1. Capital Reserve				
As per Last Account	-	-	-	-
Addition During the year	-	-	-	-
Less: Deductions during the year	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. Revenue Reserve	-	-	-	-
As per Last Account	-	-	-	-
Addition During the year	-	-	-	-
Less: Deductions during the year		-		-
		-		-
3. Special Reserve				
As per Last Account	-		-	
Addition During the year	-		-	
Less: Deductions during the year	-		-	
		-		-
3. General Reserve				
As per Last Account	-		-	
Addition During the year	-		-	
Less: Deductions during the year	-		-	
		-		-
TOTAL		-		-

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

Rakesh Kataria
राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Foods & Public Distritution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SHEDULE 3-EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP	TOTAL	
	Fund XX	Current Year	Previous Year
Opening balance of the funds	-	-	-
Addition to the funds :	-	-	-
i. Donations/grants	-	-	-
ii. Income from investment made on account of funds	-	-	-
iii. Other addition	-	-	-
TOTAL (a+b)	-	-	-
(c) Utilization/Expenditure towards	-	-	-
objective of funds			
(i) Capital Expenditure			
-Fixed	-	-	-
-Others	-	-	-
TOTAL	-	-	-
(ii) Revenue Expenditure			
- Salaries, Wages and allowances etc.	-	-	-
- Rent	-	-	-
- Other Administrative expenses	-	-	-
Total	-	-	-

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

AMIT RAY & CO. New Delhi Chartered Accountants

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distribution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 4- SECURED LOANS AND BORROWINGS :	Current Year		Previous Year	
1. Central Government		-		-
2. State Government		-		-
3. Financial Institution				
(a) Term Loans	-		-	
(b)Interest accrued and due	-	-	-	-
4. Banks				
(a) Term Loans	-		-	
- Interest accrued and due	-		-	
(b) Other Loans	-		-	
- Interest accrued and due	-	-	-	-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others		-		-
TOTAL		-		-
Note : Amounts due within one year				

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distribution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman I/C
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGUPATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 5- UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:	Current Year		Previous Year	
1. Central Government		-		-
2. State Government		-		-
3. Financial Institutions		-		-
4. Banks				
(a) Term Loans	-		-	
(b) Other Loans	-	-	-	-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Fixed Deposits		-		-
8. Others		-		-
TOTAL		-		-
Note: Amounts due within one year				

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	Current Year	Previous Year
(a) Acceptance secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
(b) Other	-	-
TOTAL	-	-
Note: Amounts due within one year		

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distribution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptance	-		-	
2. Sundry Creditors	-		-	
a.) For Goods	-		-	
b.) Others	31,03,778		34,90,111	
3. Advances Received	-		4,500	
4. Interest accrued but not due on:				
(a) Secured Loans/borrowings	-		-	
(b) Unsecured Loans/borrowings	-		-	
5. Statutory Liabilities				
(a) Overdue	-		-	
(b) others (TDS)	20,58,222		6,93,521	
6. Other Current Liabilities (Securities Deposits, Registration Fees & Interest earned thereon, withheld etc.)	5,03,34,888		3,40,84,807	
TOTAL (A)		**5,54,96,888**		**3,82,72,939**
B. PROVISIONS				
1. For Taxation	-	-	-	-
2.Gratuity	1,78,272	-	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	6,95,216	-	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-	-	-
6. Others (Unpaid Expenses)	34,47,807	43,21,295	32,40,138	32,40,138
TOTAL (B)		**43,21,295**		**32,40,138**
TOTAL (A+B)		**5,98,18,183**		**4,15,13,077**

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(Government of India)
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distribution
Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/c)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS		GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
Description		Cost/valuation as at begning of the year	Additions during the year More than 180 days	Additions during the year Less than 180 days	Deductions during the year	Cost/valuation at the year end.	As at the begning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Total upto the year - end	As at the Current Period- end	As at the previous year- end
A. FIXED ASSETS:												
1. LAND												
a.) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. BUILDINGS												
a.) On freehold land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.) On Leasehold land	56 Years	17,42,00,000	-		-	17,42,00,000	31,10,715	31,10,715	-	62,21,431	16,79,78,570	17,10,89,285
c.) Ownership flats/premises	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.) Superstructures on land not belonging to the entity	40%	-	1,93,57,676	-	-	1,93,57,676	-	77,43,070	-	77,43,070	1,16,14,606	-
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENTS 15%	15%	33,72,886	89,131	14,92,936	11,400	49,43,553	8,51,015	6,21,741	6,840	14,65,916	34,77,637	25,21,871
4. VEHICLES 15% (Car)	15%	7,03,433	-	-	-	7,03,433	6,33,090	70,342	-	7,03,432	1	70,343
5. FURNITURE, FIXTURES 10%	10%	49,75,735	15,526	3,27,806	-	53,19,067	4,34,381	5,18,829	-	9,53,210	43,65,857	45,41,354
6. OFFICE EQUIPMENT 15%	15%	4,17,404	2,49,418	77,881	-	7,44,703	1,92,584	1,08,805	-	3,01,389	4,43,314	2,24,820
7. COMPUTERS/PERIPHERALS 40%	40%	18,37,472	1,63,800	4,38,668	-	24,39,940	17,88,840	1,80,999	-	19,69,839	4,70,101	48,632
8. ELECTRIC INSTALLATION 15%	15%	1,01,256	11,665	9,400	-	1,22,321	1,01,256	3,819	-	1,05,075	17,246	-
9. LIBRARY BOOKS 40%	40%	75,106	8,133	3,890	-	87,129	75,106	6,745	-	81,851	5,278	-
10. TUBEWELLS & W. SUPPLY	5% -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. OTHER FIXED ASSETS-Softwear	40%	-	-	83,68,366	-	83,68,366	-	16,73,673	-	16,73,673	66,94,693	-
TOTAL of A	-	18,56,83,292	1,98,95,349	1,07,18,947	11,400	21,62,86,188	71,86,987	1,40,38,738	6,840	2,12,18,886	19,50,67,303	17,84,96,305
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	-	1,75,37,829	18,19,847	-	1,93,57,676	-	-	-	-	-	-	1,75,37,829
TOTAL	-	20,32,21,121	2,17,15,196	1,07,18,947	1,93,69,076	21,62,86,188	71,86,987	1,40,38,738	6,840	2,12,18,886	19,50,67,303	19,60,34,134

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Foods & Public Distritution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 9 - INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2.Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (Fixed Deposit)	-	-
TOTAL	-	-

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. others	-	-
TOTAL	-	-

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distribution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/c)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT ASSETS :				
1. Inventories				
(a) Stores and Spares	6,77,085		1,22,715	
(b) Loose Tools			-	
(c) Stock-in-trade	-		-	
		6,77,085		1,22,715
Finished Goods		-		-
Work-in-progress		-		-
Raw Materials		-		-
2. Sundry Debtors :				
(a) debts Outstanding for a period exceeding six months				
(b) Others		-		-
3. Cash balances in hand (including Cheques/drafts and imprest)	-	-		-
4. Bank Balances :				
(a) With Scheduled Banks :				
-On Current Accounts (Oriental Bank of Commerce)	2,85,08,134		7,52,55,620	
-On Deposit Accounts (includes margin money)				
-On Savings Accounts (Canara Bank)	4,83,87,213	7,68,95,347	3,40,46,318	10,93,01,938
(b) With non- Scheduled Banks :				
-On Current Accounts				
- On Deposit Accounts				
-On Savings Accounts				
5. Post Office- Savings Accounts		-		-
TOTAL (A)		**7,75,72,432**		**10,94,24,653**

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/c)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 11 - CURRENT, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	Current Year		Previous Year	
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSTES				
1. Loans :				
(a) Staff	-		-	
(b) Other Entities engaged in activities/objective similar to that of the Entity	-		-	
(c) Other	-	-	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :				
(a) On Capital Account	-		-	
(b) Prepayments	1,28,996		61,234	
(c) Other	6,03,063	7,32,059	100	61,334
3. Income Accrued :				
(a) On Investment from Earmarked/Endowment Funds	-		-	
(b) On investment - others	-		-	
(c) On Loans and Advances	-		-	
(d) others (includes income due unrealized-)	2,32,002	2,32,002	-	-
4. Claims Receivable		-		-
TOTAL (B)		**9,64,061**		**61,334**
TOTAL (A+B)		**7,85,36,493**		**10,94,85,987**

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Cunsumer Affairs, Foods & Public Distritution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/c)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED ON 31st MARCH ,2018.

(Amount Rs.)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES	Current Year	Previous Year
1.) Income from Sales		
(a) Sale of Finished Goods	-	-
(b) Sale of Raw Material	-	-
(c) Sale of Scraps	-	-
2.) Income from Services		
(a) Labour and processing Charges	-	-
(b) Professional/Consultancy Services	-	-
(c) Agency Commission and Brokerage	-	-
(d) Maintenance services (Equipment/Property)	-	-
e.) Others	-	-
TOTAL	-	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable grants & Subsidies Received)	Current Year		Previous Year	
1.) Central Government (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)				
a) Grant -in-Aid for Salary Head -	15,365,000.00		36,000,000	
b) Grant -in-Aid for General Head-	42,730,000.00	58,095,000	114,000,000	150,000,000
2.) State Government		-		-
3.) Government Agencies		-		-
4.) Institutional Organisations		-		-
5.) International Organisations		-		-
TOTAL		58,095,000		150,000,000

(Amount Rs.)

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS	Current Year	Previous Year
1.) Entrance Fees	-	-
2.) Annual Fees/Subscriptions	-	-
3.) Seminar/Program Fees	-	-
4.) Consultancy Fees	-	-
5.) Others	-	-
TOTAL	-	-

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distritution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/c)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENT	Current Year	Previous Year
(Income on Investment from Earmarked/Endowment funds transferred to funds)		
(1) Interest		
(a) On Government Securities	-	-
(b) Other Bonds/Debentures	-	-
(2) Dividends :		
(a) On Shares	-	-
(b) On Mutual Fund Securities	-	-
(3) Rents	-	-
(4) Others	-	-
TOTAL	-	-
TRANSFER TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	-	-

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	Current Year	Previous Year
1.) Income from Royalty	-	-
2.) Income from publications	-	-
3.) Others	-	-
TOTAL	-	-

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distribution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/c)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED	Current Year	Previous Year
(1) On Term Deposits :		
(a) With Schedule Banks		
(b) With Non - Schedule Banks	-	-
(c) With Institutions	-	-
(d) Other	-	-
(2) On Saving Accounts :		
(a) With Schedule Banks	23,67,305	40,93,707
(b) With Non - Schedule Banks	-	-
(c) Post Office Svings Accounts	-	-
(d) Other	-	-
(3) On Loans :		
(a) Employee/Staff	-	-
(b) Others	-	-
4.) Interest on Debtors and Other (From current Account)	-	-
TOTAL	**23,67,305**	**40,93,707**

(Amount -Rs.)

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	Current Year	Previous Year
(1) Profit on Sale/disposal of Asstes :		
(a) Owned asstes	-	-
(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2.) Export Incentives realized	-	-
3.) Fees for Miscellaneous Services	-	-
4.) Miscellaneous Income	2,13,330	38,02,631
TOTAL	**2,13,330**	**38,02,631**

Compiled from Books of Accounts By

Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

AMIT RAY & CO. New Delhi Chartered Accountants

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distritution
16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Current Year	Previous Year
(a) Closing Stock	-	-
- Finished Goods	-	-
- Work -in- progress	-	-
(b) Less : Opening Stock	-	-
- Finished Goods	-	-
- Work -in- progress	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	-	-

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous Year
(a) Salaries and Wages	2,17,34,428	1,75,66,543
(b) Allowances and Bonus	24,27,028	49,11,586
(c) Contribution to Provident Fund	1,05,680	4,02,833
(d) Contribution to Other Fund	-	-
(e) Staff Welfare Expenses (Medical Facility)	2,04,963	3,68,779
(f) Expenses on Employee's Retirement and terminal BenefitsA	21,23,547	15,63,948
(g) Others (Deputation Expenses, Leave Encashment, Leave Salary contribution, Leave Travel Concession etc.)	12,95,828	17,26,883
(h) Other expenses		
TOTAL	2,78,91,474	2,65,40,572

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distritution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/c)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED ON 31st MARCH,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year	Previous Year
(a) Purchases	-	-
(b) Labour and Processing Expenses	-	-
(c) Cartage and Carriage Inwards	-	-
(d) Electricty & Water Charges	12,62,134	5,79,886
(e) Insurance	14,746	9,817
(f) Repairs and Maintenance	53,59,353.00	3,02,597
(g) Office Expenses	7,91,169	16,11,944
(h) Rent, Rates and Taxes	6,09,565	42,75,681
(i) Vehicles, Running and Maintenance	1,74,209	69,808
(j) Postage, Telephone and Communication Charges	9,07,050	4,62,746
(k) Printing and Stationery	7,07,606	6,87,737
(l) Travelling and Conveyance Expenses	18,30,459	8,40,465
(m) Expenses on Training & Awareness Programme /Seminar & Work Shop	65,71,424	73,24,464
(n) Subscription Expenses	-	-
(o)Sponshorship Fees	-	-
(p) Auditors Remuneration	1,50,000	1,50,000
(q) Expense on system Inspection of warehouse	43,88,124	4,87,784
(r) Professional Charges	1,14,74,831	16,11,940
(s)Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	-	-
(t) Irrevocable Balance Written- Off	-	-
(u) Studies:-		
Technical Study	-	-
Transformation Plan for WDRA	2,67,74,991	3,39,63,201
(v) Foundation day Celebration Expenses	-	-
(w) Data entry operator expense	44,84,258	25,51,077
(x) Advertisement and Publicity	34,03,488	6,60,557
(y) Other Expenses	63,447	1,14,372
TOTAL	**6,89,66,854**	**5,57,04,076**

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distritution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED ON 31st MARCH ,2018

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS SUBSIDIES ETC.	Current Year	Previous Year
(a) Grants given to Institution/ Organisations	-	-
(b) Subsidies given to Institution/ Organisations	-	-
TOTAL	-	-

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 23 - INTEREST	Current Year	Previous Year
(a) On Fixed Loans	-	-
(b) On Other Loans (including Bank Charges)	-	-
(c) others	-	-
TOTAL	-	-

Compiled from Books of Accounts By

Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distritution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2018.

SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

i. The financial statements have been prepared in the prescribed form of Accounts as per the Warehousing (Development and Regulatory) Authority Annual Statement of Accounts and Records Rules, 2010.

ii. Accounts have been prepared on accrual basis for the current year i.e. 2017-18.

2. INVENTORY VALUATION

Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.

3. FIXED ASSETS

Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

4. DEPRECIATION

1. Depreciation is provided on straight line method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.
2. Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

Government grants/subsidies are accounted on realization basis.

AMIT RAY & CO. New Delhi Chartered Accountants

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distrution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2018.

SCHEDULE 25 – NOTES TO ACCOUNTS

1. As per Section 49 of Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007,the Warehousing Development and Regulatory Authority is not liable to pay wealth-tax, income tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits or gains derived

2. Section 37 of the Warehousing (Regulatory and Development) Act, 2007 provides that there shall be constituted a fund to be called the Warehousing Development and Regulatory Authority Fund and all Central Government grants, fees, charges received by the Authority, all sums received by the Authority from such other sources as may be decided by the Central Government, and all sums realized by way of penalties under this Act shall be credited thereto. However as per accounting procedure advised by Office of Controller General of Accounts (CGA) and concurred by the Office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) of India, all receipts of Authority will be credited to the minor head "105-Warehousing Development and Regulation receipts" new (minor head) below the Major Head "0408-Food Storage and Warehousing". The above accounting procedure is not in tune with the provisions of Act. The amount received by the Authority against all receipts including Fee and Security Deposit from the warehouses and accreditation agencies, interest earned from Canara Bank etc. are being deposited in Canara Bank account and has been recorded under the Head 'Current Liabilities'.

3. The amount received on account of registration fee, security deposit, accreditation/inspection agency registration money/security deposit, interest on Canara Bank, receipts from issue of NWR books, renewal fee etc. have been shown under the heading 'any other receipt' in the Receipts and Payments account.

4. The Warehousing Development and Regulatory Authority has written to the Department to enquire from the Ministry of Finance and the Ministry of Corporate affairs about the deposit of receipts of the SEBI, IRDA, PFRDA and CCI in the funds created at the Authority level. It was also requested that rather than insisting WDRA to deposit all the receipts in the Government Accounts (Consolidated Fund of India), Department may take up with CGA/CAG for creation of WDRA Fund and deposit of all receipts in it as per the provision of the Act. The Department was also advised to take legal opinion on this matter. The Department had not concurred to it comparing WDRA with constitutional bodies such as Office of CAG, Supreme Court, UPSC etc. WDRA has again requested the department of Food & PD to reconsider the matter and take up with the Department of Economic Affairs since the constitutional bodies with which the WDRA has been compared enjoy specific provisions under Article 112 and 315 of the Constitution of India of having their expenditure charged on the consolidated Fund of India. As such, their autonomy is different and protected under these articles of the Constitution of India.

The reply of the Department is awaited.

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पटनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

5. Stores and spares in Inventories of Current Assets in Schedule 11 –Current Assets, Loan advances etc., represent the cost of stationary & Negotiable Warehouse Books.

6. Capital Expenditure on purchase of the fixed assets made in connection with the discharge of the function of the authority has been shown as utilization of fund in Utilization Certificate whereas it is kept as fixed assets in the books of Account and depreciation is charged to Income & Expenditure Account.

7. Amount received as Grants-in-Aid from Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, Government of India, is accounted under the head Grant/Subsidies. Surplus/Deficit of Income over revenue expenditure is transferred to Corpus/Capital Fund.

8. The Accounts are maintained on accrual basis of Accounting whereas Receipts & Payments account is prepared as per Cash Basis. The difference in Establishment & Administrative Expense of Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account is due to payment yet to be made.

Establishment Expenses

Particular	For the Year 2017-18	For the Year 2016-17
Establishment Expenses (As Per Schedule 20)	2,78,91,474.00	2,65,40,572.00
Less:- Closing Establishment Liabilities	28,95,098.00	31,28,469.00
Less:-Opening Establishment Assets	NIL	NIL
Net Payment	**2,49,96,376.00**	**2,34,12,103.00**

Administrative Expenses

Particular	For the Year 2017-18	For the Year 2016-17
Administrative Expenses (As Per Schedule 21)	6,89,66,854.00	5,57,04,076.00
Less:- Closing Administrative Liabilities	59,42,611.00	35,59,759.00
Less:-Opening Administrative Assets	1,83,949.00	4,73,748.00
Net Payment	**6,28,40,294.00**	**5,16,70,569.00**

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distribution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

9. Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) has entered into Memorandum of Understanding (MOU) with National Cooperative Union of India (NCUI) for taking office premises on lease of 56 years (from the date of occupying) on the 4th Floor of NCUI building at 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016. WDRA has paid a sum of Rs.17.42 Crore. Out of the Rs 17.42 Crore, Rs. 11.32 Crore has been contributed to Corpus fund for Agricultural Development through Cooperatives and Rs.6.10 crore is paid as lease premium.

10. As per Memorandum of Understanding (MOU), it is agreed between the parties that if the period of tenancy is reduced/ shortened (from the agreed period of 56 years) on account of inability or refusal to obtain permission of Income Tax Authorities, Delhi Development Authority or failure/ refusal of Registration of the Lease Deed or for any other reason whatsoever, then in the said eventuality, the National Cooperative Union of India (NCUI) shall pay to the Warehousing Regulatory and Development Authority (WDRA) by way of refund of total amount paid, the sum equivalent to the unexpired lease period in the worksheet, as per the sheet attached with Memorandum of Understanding (MOU).

11. Provisions for Gratuity and Leave Encashment in respect of regular employees have been made on the basis of actuarial certificate/ report of LIC. Assumption considered in valuation are as under:-

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव/Under Secretary

1. Membership Data	
Number of Members	2
Average age	48
Average Monthly Salary	65152.5
Average Past Service	1.5
2. Valuation Method	Projected Unit Credit Method
3. Actuarial Assumption	
Mortality Rate	LIC(2006-08) Ultimate
Withdrawal Rate	1% to 3% depending on age
Discount Rate	8% p.a.
Salary Escalation	7%
Benefit Value (Gratuity ceiling)	Rs. 20,00,000

12. The assets depreciated fully in the previous years have been reinstated with Rs. 1/- each asset as written down value (WDV) to recognise in the books in compliance to Audit observation.

13. Interest earned as per Schedule 17 is interest received in the bank account maintained with the Oriental Bank of Commerce Bank.

14. Opening balances/ Corresponding Figures for previous year have been regrouped/ rearranged/ re-cast wherever necessary.

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/c)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

FORM C

(See rule 3)

THE WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2018

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses (Corresponding to Schedule 20)**	2,49,96,376	2,34,12,103
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses (Corresponding to Schedule 21)**	6,28,40,294	5,16,70,569
i) In current accounts(OBC)	7,52,55,620	5,01,97,226			
ii) In deposit accounts	-	-	**II. Payments made against funds for various projects**		
iii) Saving accounts (Canara Bank)	3,40,46,317	2,92,22,020	(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments	-	-
II. Grants Received			**III. Investments and deposits made**		
a) From Govt of India	5,80,95,000	15,00,00,000	a) Out of Earmarked/Endowment Funds	-	-
b) From State Govt (s)	-	-	b) Out of Own Funds (Investments-Others)	-	-
c) From other sources (details)	-	-			
(Grants for capital & revenue expenditure to be shown			**IV. Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-Progress**		
			a) Purchase of Fixed Assets	1,09,59,764	3,06,18,519
III. Income on Investment From			b) Expenditure on Capital Work-in-Progress	-	1,75,37,829
a) Earmarked/Endowment funds	-	-			
b) Own Funds (Others Investment)	-	-	**V. Refunds of Surplus Money/Loans**		
			a) To the Govt Of India(b) To the State Govt	-	-
IV. Interest Received					
a) On Bank Deposits	23,67,305	40,93,707	**VI. Finance Charges (Interest)**	-	-
b) Loans, Advances etc	-	-			
			VII. Other Payments (Opening Creditors, Consumable, Refund of Security Deposit, Refund of Registration fee)		
V. Other Income					
-Receipts from issue of NWR Books	-	2,71,600	-Advance Payment	7,32,059	61,334
-Receipt from department of fertilizer	-	-	-Refund of Security Deposit	1,53,625	3,46,240
-Tender fee	-	50,300	-Refund of Registration Fee	85,000	15,200
-Recorvies from staff	3,155	300	-Stock of Consumable Books	6,13,444	18,000
-Others	2,10,175	16,470	-Stock of Stationery	63,641	1,04,715
-Refund of Advances (LTC & Temp)	-	68,500	-Payment to Opening Statutory Liabilty (TDS)	7,23,324	6,03,493
			-Payment to Other Opening Current Liability	66,73,373	56,79,640
VI. Amount Borrowed			-Refund of Security Deposit (M/s Sybex Computer)	-	50,000
			-Refund of Registration Renewal Fee	75,599	
VII. Any Other Receipts * (Registration fees, Security Deposits etc)					
-Registration Fee	1,12,35,000	18,61,072	**VIII. Closing Balances**		
-Security Deposit	-	16,72,692	a) Cash in Hand		
-Stale Cheques	3,000	-	b) Bank Balances		
Application Fees Repository	2,00,000	-	i) In current Accounts (OBC)	2,85,08,134	7,52,55,620
-Interest on Canara bank	17,49,752	12,08,092	iii) In Deposits Accounts(Fixed Deposit)	-	-
-Renewal fee for Registration	13,35,000	4,42,102	iv) Saving Accounts (Canara Bank)	4,83,87,213	3,40,46,317
-Security Deposit (Travel Agency)	-	5,000	iv) Cheques in Hand	-	-
-Receipt from NCDC Topic institute	-	2,52,500			
-Empanelment of Inspection Agency	1,50,000	-			
-Misc Receipts	2,621	-			
-Receipts from issue of NWR Books	1,58,900	-			
-Refund from Rajender Beri	-	58,000			
		-			
Total	**18,48,11,846**	**23,94,19,580**		**18,48,11,846**	**23,94,19,580**

*Refer Note no. 2 of Sechdule 25

**Refer Note no. 8 of Sechdule 25

Compiled from Books of Accounts By
Amit Ray & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

राकेश कटारिया/RAKESH KATARIA
अवर सचिव (प्र. एवं वि.)/Under Secretary (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार)/(Government of India)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Foods & Public Distribution
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
सदस्य/Member and Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

अनुलग्नक – II

31 मार्च, 2018 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2018 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन पत्र तथा भांडागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 38 (2) के साथ पठित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष की लिए डब्ल्यू० डी० आर० ए० के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व डब्ल्यू डी आर ए के प्रबन्धन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. इस अलग रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ केवल वर्गीकरण, सर्वोतम लेखाकरण प्रक्रियाओं, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों के संदर्भ में शामिल की गई हैं। विधि के अनुपालन, नियम एवं विनियमन (औचित्य एवं नियमितता) तथा कुशलता–सह–निष्पादन पहलू, यदि कोई है, के बारे में वित्तीय लेन–देन पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टो /सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टो के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण किसी तरह की गड़बड़ी से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटन और राशियों को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर जाँच शामिल होती हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के आकलन सहित वित्तीय विवरणों का समग्र मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है की हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने वे सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ii) पैराग्राफ ग.1 में दी गई हमारी टिप्पणियों के अलावा, तुलन पत्र, आय एवं व्यय, प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा, जो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारे मतानुसार लेखा बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है कि डब्ल्यू० डी० आर० ए० द्वारा समुचित लेखा बहियाँ तथा अन्य संबन्धित रिकार्ड भांडागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 की धारा 38(1) के अंतर्गत रखे गए हैं।

(iv) हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएँ

क.1.1 चालू देयताएँ प्रावधान (अनूसूची–7): 5.98 करोड़ रू

क.1.1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान की व्यय न हुई 2.85 करोड़ रूपए की राशि मंत्रालय को बतौर रिफंडएबल के रूप में प्रदर्शित नहीं की गई। इसके फलस्वरूप इतनी ही राशि के लिए चालू देयताएँ कम तथा पूंजी निधि अधिक दिखाई गई है।

ख. आय एवं व्यय लेखा

आय–अनुदान एवं सब्सिडि 5.81 करोड़ रू (अनुसूची–13)

ख.1. डब्लू० डी० आर० ए० ने वर्ष 2017–2018 के दौरान 1.31 करोड़ रूपए (अनुसूची–8) की अचल परिसम्पत्ति खरीदी। अधिप्राप्ति के लिए 1.31 करोड़ रुपय का पूंजी व्यय, आय एवं व्यय लेखे में प्रदर्शित अनुदानों से नहीं घटाया गया। इसके फलस्वरूप समान राशि के लिए आय एवं पूंजी/ संग्रह राशि अधिक दिखाई गई।

ख.2. व्यय–स्थापना व्यय 2.79 करोड़ रूपए

डब्लू० डी० आर० ए० ने मार्च, 2017 के लिए अपने 5 वरिष्ठ अधिकाररियों को वेतन के रूप में प्रदान करने हेतु 2016–17 के लेखों में 0.16 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था। तथापि 0.09 करोड़ रूपए पेंशन अनुदान के रूप में (डब्लू० डी० आर० ए० द्वारा) लेखाबद्ध नहीं किया जा सका। एच.आर.ए (सम्पदा निदेशालय को भुगतान योग्य) की वसूली मार्च, 2017 की जर्नल प्रविष्टि में पारित की गई जिसके फलस्वरूप डब्लू० डी० आर० ए० को 2017–18 के लेखों में 0.09 करोड़ रूपए की राशि व्यय के रूप में लेखाबद्ध करनी पड़ी जिसके कारण चालू वर्ष का व्यय अधिक तथा इतनी ही राशि का पूर्व अवधि व्यय कम दिखाना पड़ा।

ग. सामान्य

ग.1. लेखा टिप्पणियों के अनुसार (अनुसूची–25) भाणडागारों तथा मान्यता एजेंसियों से प्राप्त शुल्क एवं प्रतिभूति की राशि बैंक खाते में जमा की जा रही है तथा राशि एवं उस पर ब्याज को चालू देयता शीर्ष के अन्तर्गत रिकार्ड किया गया है। प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखों के अनुसार इस खाते में 4.84 करोड़ रूपए शेष है जबकी देयताएँ 5.03 करोड़ रूपए दिखाई गई है। 0.19 करोड़ के अन्तर के लिए समाधान किए जाने की आवश्यकता है

ग.2. डब्लू० डी० आर० ए० के पास विभिन्न एजेंसियों द्वारा निष्पादन गारंटी, बयाना जमा आदि के रूप में 31 मार्च 2018 को बैंक गारंटी, सावधि जमा के मूल्य के रूप में 22.07 करोड़ रूपए थे। यद्यपि यह राशि डब्लू० डी० आर० ए० के वार्षिक लेखों में शामिल नहीं की जानी थी, लेकिन इतने अधिक मूल्य के लिखतों को लेखा टिप्पणियों में प्रकट किया जाना चाहिए।

ग.3. लेखों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो की आई सी ए आई द्वारा जारी लेखाकरण मानक 15 के विपरित है।

घ. अनुदान सहायता

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता तथा वर्ष 2017–18 के लिए इसके उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रू. में)

विवरण	कुल
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान सहायता	5.81
गत वर्ष की व्यय न हुई राशि	10.93
वर्ष के दौरान प्राप्त विविध प्राप्तियाँ	1.74
कुल उपलब्ध राशि	18.48
वर्ष के दौरान व्यय	10.79
व्यय न किया गया शेष	7.69

इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में डब्लू० डी० आर० ए० के पास 7.69 करोड रु व्यय न हुई राशि थी।

ड. प्रबंधन पत्र :

ऑडिट रिपोर्ट में शामिल की गई कमियों को अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक / उचित कार्रवाइ के लिए डब्लू० डी० आर० ए० के ध्यान में लाया गया है।

V. पूव के पैराग्राफों में अपने पर्यवेक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया है वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

VI. हमारे मत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरणों को लेखाकरण नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित किए जाने पर तथा ऊपर दिये गए मामलों एवं इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित मामलों में भारत में सामान्य रूप में अपनाए जाने वाले लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार सही तथा स्पष्ट तस्वीर मिलती है:–

(क) जहाँ तक तुलन पत्र का संबंध है, 31 मार्च, 2018 को भण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के मामले मे ; और

(ख) जहाँ तक इसका उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में आय एवं व्यय लेखे के अतिशेष के मामले में।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(केन्द्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली
दिनाँक: 16.11.2018

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, मुख्य लेखा नियंत्रक, ऑडिट खंड द्वारा डब्लू डी आर ए की आंतरिक लेखा परीक्षा 2015–16 तक की गई है। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऑडिट अद्यतन नही हुआ।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

क. कैश बुक इस वर्ष से तैयार की गई है। इस से पहले इसका समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था। कैशियर तथा डीडीओ के हस्ताक्षर किसी भी प्रविष्टि पर नही थे। इसके अतिरिक्त कैश बैलेंस का औचक निरीक्षण कर डब्लू० डी० आर० ए० द्वारा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। प्रबंधन नें बताया है कि डब्लू० डी० आर० ए० में नकद लेन–देन बहुत ही कम है। केवल इम्प्रैस्ट अग्रिम ही दिया जाता है तथा डीडीओ कैश रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहा है।

ख. अप्रैल, 2017 माह के लिए वाउचर का समुचित रखरखाव नहीं किया गया। वाउचरों में उल्लिखित राशियॉं लेजर में की गई उनकी प्रविष्टियो से भिन्न थीं। बैंक भुगतान पर्चियों को प्रेषण के मामलों में संलग्न नहीं किया गया। लेखों के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर कुछ वाउचर पर रिकॉर्ड नही किये गये तथा वाउचरों पर अधिकतर मामलों में स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई।

ग. वर्ष 2011–12 से 2015–16 अवधि के लिये निरीक्षण रिपोर्ट के 8 ऑडिट पैरा अभी शेष हैं । तथपि इन पैरा के उत्तर डब्लू० डी० आर० ए० द्वारा ऑडिट को भेजे गए हैं।

इस प्रकार डब्लू० डी० आर० ए० की आंतरिक प्रणाली को सशक्त बनाने की अवश्यकता है

3. अचल परिसम्पतियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली

वर्ष 2017–18 के लिए अचल परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन किया गया ।

4. वस्तु सुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

पुस्तकों, प्रकाशनों, स्टेशनरी तथा अन्य उपभोक्ता सामान का वर्ष 2017–18 के लिए भौतिक सत्यापन किया गया ।

5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता

31–03–2018 को आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर, अंशदायी, भविष्य निधि (सी.पी.एफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा का 6 महीने से अधिक कोई भुगतान बकाया नहीं था ।

अनुलग्नक – III

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट पर डब्लू डी आर ए के उत्तर/टिप्पणियॉ

टिप्पणी सं	ऑडिट टिप्पणी	
क. तुलन पत्र **क.1 देयताएँ** **क.1.1 चालू देयताएँ प्रावधान** **(अनूसूची–7): 5.98 करोड़ रू**	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान की व्यय न की गई 2.85 करोड़ राशि मंत्रालय को बतौर रिफंडएबल के रूप में प्रदर्शित नहीं की गई। इसके फलस्वरूप इतनी ही राशि के लिए चालू देयताएँ कम तथा पूंजी निधि अधिक दिखाई गई है। कुल व्यय न की गई राशि 7.69 (–) 4.8.4 = 2.85 को देयता को रूप में दिखाया गया है	व्यय न हुई राशि की सूचना इस कार्यालय के पत्र सं.डब्लू डी आर ए/जी–28/1/2017–ए.एफ दिनांक 25.06.2018 द्वारा मंत्रालय को दी गई थी। व्यय न हुई 2.85 करोड़ रूपए की राशि, रूपान्तरण योजना के अधीन लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए रखी गई थी। अतः इसे प्राधिकरण की चालू देयता नहीं माना गया। रूपान्तरण योजना के अधीन नियोजित गतिविधियों के लिए 2.85 करोड़ रूपए की आवश्यकता थी। ये गतिविधियॉ अभी क्रियान्वित की जा रही हैं। अतः इस राशि को रखना अपेक्षित था। अतः चालू देयताओं में कोई वृद्धि तथा पूंजी निधि में कोई कमीं नहीं हुई। यह नोट किया जाए कि 2.85 करोड़ रूपए चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय किए जा चुके हैं।
ख. आय एवं व्यय लेखाः **आय–अनुदान एवं अनुदान 5.81 करोड़ रू** **ख.1.**	**ख.1.** डब्लू० डी० आर० ए० ने वर्ष 2017–2018 के दौरान 1.31 करोड़ रूपए (अनुसूची–8) की अचल परिसम्पत्ति खरीदी गई। अधिप्राप्ति के लिए 1.31 करोड़ रुपए का पूंजी व्यय, आय एवं व्यय लेखे में प्रदर्शित अनुदानों से नहीं घटाया गया। इसके फलस्वरूप समान राशि के लिए	सरकार द्वारा अधिसूचित भांडागारण (विकास एवं विनियमन) प्राधिकरण के वार्षिक लेखों तथा रिकार्ड नियमावली, 2010 अनुसूची–13 अनुदान एवं सब्सिडी के संबंध में है। अपनी लेखाकरण नीति के अनुसार प्राधिकरण इस अनुसूची के अन्तर्गत मंत्रालय से प्राप्त

	आय एवं पूंजी/संग्रह राशि अधिक दिखाई गई। अधिप्राप्ति के लिए 1.31 करोड़ रुपए का पूंजी व्यय, आय एवं व्यय लेखे में प्रदर्शित अनुदानों से नहीं घटाया गया। इसके फलस्वरूप समान राशि के लिए आय एवं पूंजी/संग्रह राशि अधिक दिखाई गई।	अनुदान की कुल राशि दिखाता रहा है। यदि हम इस अनुसूची में मंत्रालय से प्राप्त कुल अनुदान में से अचल परिसम्पत्तियों की लागत को घटा देते हैं तो, यह प्राधिकरण द्वारा अब तक अपनाई गई लेखाकरण नीति के विरूद्ध होगा। लेखाकरण नीति के अनुसार गैर पूंजी व्यय को आय एवं व्यय लेखा में व्यय के रूप में दिखाया गया है तथा अचल परिसम्पति पर हुए व्यय अधिक आय में वृद्धि/कमी का भाग बन जाता है तथा इसे संग्रह राशि/पूंजी निधि में अग्रेनीत किया जाता है। इस प्रकार इसे देयता के रूप में दिखया गया है तथा संतुलित करने के लिए इसे अचल परिसम्पत्ति पर व्यय को 'परिसम्पत्ति शीर्ष' के अन्तर्गत दिखया गया है। यह नीति अब तक अपनाई गई है।
ख.2.	ख.2. व्यय–स्थापना व्यय–2.79 करोड़ रूपए डब्लू० डी० आर० ए० ने मार्च, 2017 के लिए अपने 5 वरिष्ठ अधिकारियों को वेतन के रूप में प्रदान करने हेतु 2016–17 के लेखों में 0.16 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था। तथापि यह (डब्लू० डी० आर० ए० द्वारा) 0.09 करोड़ रूपए पेंशन अनुदान के रूप में लेखाबद्ध नहीं कर सका तथा एच.आर.ए (सम्पदा निदेशालय को भुगतान योग्य) की वसूली मार्च, 2017 की जर्नल प्रविष्टि में पारित की गई जिसके फलस्वरूप डब्लू० डी० आर० ए० को 2017–18 के लेखों में 0.09 करोड़ रूपए की राशि व्यय के रूप में लेखा बद्ध करनी पड़ी । इस कारण चालू वर्ष का व्यय अधिक तथा इतनी ही राशि का पूर्व अवधि व्यय कम दिखाना पड़ा।	जहाँ तक 93,813 रूपए का संबंध है, प्रतिनियुक्ति अधिकारियों के लिए पेंशन योगदान के रूप में (77,289 रू) तथा अवकाश वेतन भुगतान (16,529 रू) 31.03.2017 को अप्रदत थे। इस राशि की व्यय की देयता वर्ष 2016–17 के लेखों को अंतिम रूप देते समय सृजित नहीं की गई। अतः इसे वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है। यह ऑडिट टिप्पणी समुचित अनुपालन के लिए नोट की गई ।

ग. सामान्य	**ग.1.** लेखा टिप्पणियों के अनुसार (अनुसूची –25) भाणडागारों तथा मान्यता एजेंसियों से प्राप्त शुल्क एवं प्रतिभूति की राशि बैंक खातें में जमा की जा रही है तथा राशि एवं उस पर ब्याज को चालू देयता शीर्ष के अन्तर्गत रिकार्ड किया गया है। प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखों के अनुसार इस खाते में 4.84 करोड़ रूपए शेष है जबकी देयताएँ 5.03 करोड़ रूपए दिखाई गई है। इस 0.19 करोड़ के अन्तर के समाधान की आवश्यकता है ।	बैंक खाते में शेष तथा देयताओं में अन्तर गत वर्ष से संबंधित है। अन्तर का समाधान किया जाएगा।
ग.2.	डब्लू० डी० आर० ए० के पास विभिन्न एजेंसियों द्वारा निष्पादन गारंटी, बयाना जमा आदि के रूप में 31 मार्च, 2018 को बैंक गारंटी, सावधि जमा के मूल्य के रूप में 22. 07 करोड़ रूपए थे। यद्यपि यह राशि डब्लू० डी० आर० ए० के वार्षिक लेखों में शामिल नहीं की जानी थी लेकिन इतने अधिक मूल्य के लिखतों को लेखा टिप्पणियों में प्रकट किया जाना चाहिए।	इस संबंध में भविष्य में लेखा टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटन दिखया जाएगा, जैसा कि ऑडिट द्वारा सुझाव दिया गया है।
ग.3.	लेखों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो की आई.सी. ए.आई. द्वारा जारी लेखाकरण मानक 15 के विपरित है।	लेखाकरण मानक 15 के अनुसार लेखा टिप्पणियां (अनुसूची–25) के क्रम सं.11 में चालू देयताऐ तथा प्रावधान के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्यूटी तथा छुट्टी नकदीकरण के लिए 4,56.142 रूपए का प्रावधान लेखा बाहियों में किया गया है, (अनुसूची–7) इस संबंध में पत्र सं. जी–25014/1/2018–ए एण्ड एफ/2657 दिनांक 22.11.2018 द्वारा सी.ए.जी को सूचित किया गया था।
घ. अनुदान सहायता	**घ. अनुदान सहायता** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता तथा वर्ष	प्राधिकरण के पास प्राप्त अनुदान तथा इस पर ब्याज़ गत वर्ष के (2016–17) से व्यय न हुई 7.53 करोड़ रूपए की राशि ओ.बी.सी. बैंक में थी।

2017–18 के लिए इसके उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रू में)

विवरण	कुल
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान सहायता	5.81
गत वर्ष की व्यय न हुई राशि	10.93
वर्ष के दौरान प्राप्त विविध प्राप्तियाँ	1.74
कुल उपलब्ध राशि	18.48
वर्ष के दौरान व्यय	10.79

इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में डब्लू० डी० आर० ए० के पास 7.69 करोड़ रु व्यय न हुई राशि थी।

प्राप्तियों को 2016–17 तक केनरा बैंक में जमा किया गया। अतः 3.40 करोड़ रूपए व्यय न हुई राशि नहीं मानी जानी चाहिए। यह राशि प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त हुई है। सी.जी.ए. नें सुझाव दिया था कि यह राशि सी.एफ.आई. जमा करवाई जाए। हमने इसके लिए सरकार से अनुरोध किया था कि इसे व्यय के लिए प्राधिकरण के पास रहने दिया जाना चाहिए, जैसा कि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 में प्रावधान किया गया है। अंततः निर्णय हो जाने तक है कि इन्हें सरकार/सी.एफ.आई. के खातों में जमा करने हेतु सरकार को दिए जाने के लिए इन्हें देयता के रूप में दिखाया गया है। अतः गत वर्ष (2016–17) से वास्तविक रूप में व्यय न हुई राशि का शेष केवल 7.53 करोड़ रूपए है।

यदि डब्लू.डी.आर.ए के सुझाव को नहीं माना जाता है तो, वर्ष 2017–18 के लिए केनरा बैंक में ब्याज सहित संचित प्राप्तियाँ 4. 84 करोड़ रूपए है जिसे सरकार/सी.एफ. आई. के खाते में जमा कराने के लिए देयता माना गया है। इस खाते से अब तक कोई व्यय नहीं किया जा रहा है।

वर्ष 2017–18 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में कुल प्राप्ति 5.81 करोड़ रूपए थी। इस वर्ष ब्याज़ अन्य प्राप्तियाँ 0.26 करोड़ रूपए थी। 2016–17 से अग्रेनीत शेष को जोड़ने पर प्राधिकरण के पास 13.60 करोड़ रूपए बनता है। वर्ष 2017–18 में व्यय न हुई राशि 2.85 करोड़ रूपए थी, जो ओ.बी. सी बैंक में रखी गई।

		जैसा कि पैरा सं. क 1.1.1 में कहा गया है, यह 2.85 करोड़ रूपए की शेष राशि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पहले ही व्यय की जा चुकी है।
ड प्रबंधन पत्र :	ऑडिट रिपोर्ट में शामिल की गई कमियों को अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/उचित कार्रवाइ के लिए डब्लू० डी० आर० ए० के ध्यान में लाया गया है।	यह तथ्यात्मक है।
अनुलग्नक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	1. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, मुख्य लेखा नियंत्रक, ऑडिट खंड द्वारा डब्लू डी आर ए की आंतरिक लेखा परीक्षा 2015–16 तक की गई है। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आडिट अद्यतन नही हुआ।	यह तथ्यात्मक है।
2. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	क. यद्यापि कैश बुक इस वर्ष से तैयार की गई है। इस से पहले इसका समुचित रख रखाव नहीं किया जा रहा था। कैशियर तथा डीडीओ के हस्ताक्षर किसी भी प्रविष्टि पर नही थे। इसके अतिरिक्त कैश बैलेंस का औचक निरिक्षण कर डब्लू० डी० आर० ए० द्वारा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। प्रबंधन ने बताया है कि डब्लू० डी० आर० ए० में नकद लेन–देन बहुत ही कम है । प्रबंधन ने बताया है कि केवल इम्प्रैस्ट अग्रिम ही दिया जाता है तथा डीडीओ कैश रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहा है। ख. अप्रैल, 2017 माह के लिए वाउचर का समुचित रखरखाव नहीं किया गया। वाउचरों में उल्लिखित राशियाँ लेजर में की गई उनकी प्रविष्टीयों से भिन्न	क. डब्लू डी आर ए में नकदी का लेन–देन बहुत ही कम होता है। यह इम्प्रेस्ट राशि के रूप में होता है तथा अन्य कोई नकदी का रख–रखाव नहीं किया जाता। इम्प्रैस्ट से व्यय करने के लिए हर बार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। इम्प्रैस्ट नकदी का लेखा–जोखा ई–कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तथापि इम्प्रैस्ट कैश रजिस्टर पर कैशियर तथा डीडीओ द्वारा अब हस्ताक्षर किए जा रहे है। ख. अप्रैल, 2017 के दौरान आरम्भ में कुछ वाउचरों पर गलती से संख्या नहीं डाली जा रही थी। वाउचरों क्रम सं. डालने गलती से उन पर पुनः संख्या डाली गई। इसे अब ठीक कर लिया गया है। वाउचरों पर हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं।

	थीं। बैंक भुगतान पर्चियों को प्रेषण के मामलों में संलग्न नहीं किया गया। लेखों के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर कुछ वाउचर पर रिकॉर्ड नही किये गये तथा वाउचरों पर अधिकतर मामलों में स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई। ग. वर्ष 2011–12 से 2015–16 अवधि के लिये निरीक्षण रिपोर्ट के 8 ऑडिट पैरा अभी शेष है । तथपि इन पैरा के उत्तर डब्लू० डी० आर० ए० द्वारा ऑडिट को भेजे गए हैं। इस प्रकार डब्लू० डी० आर० ए० की आंतरिक प्रणाली को सशक्त बनाने की अवश्यकता है	करों के भुगतान के लिए चालानों की प्रति, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अलग फाइल में रखी गई है। तथापि ऑडिट की टिप्पणी को देखतें हुए इस प्रकार के चालानों को भविष्य में बैंक निकासी चालानों के साथ संलग्न किया जाएगा। स्टॉक मदों की खरीद के लिए स्टॉक प्रविष्टियों सभी वाउचरों के लिए शुरू कर दी गई है। यह तथ्यात्मक है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सशक्त की गई। चूंकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए ऑडिट टिप्पणियां नोट कर ली गई है।
3. अचल परिसम्पतियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली	वर्ष 2017–18 के लिए अचल परिसम्पतियों भौतिक सत्यापन किया गया।	यह तथ्यात्मक है।
4. वस्तुसुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	पुस्तकों प्रकाशनों, स्टेशनरी तथा अन्य उपभोक्ता सामान का वर्ष 2017–18 के लिए भौतिक सत्यापन किया गया ।	यह तथ्यात्मक है।

पंजीकृत भांडागारों के लाभों को रेखांकित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पोस्टर

डब्लू.डी.आर.ए

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
चौथी मंजिल, एनसीयूआई भवन, 3, सीरी इंस्टीट्युश्नल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली –110016
फोन नं०. : 011– 49536496, फैक्स नं०. : 011– 26515503 **वेबसाइट : www.wdra.gov.in**